


द्वितीय दिवस

- जनवकालत – अर्थ और उद्देश्य
- जनवकालत का उत्तम अभिशासन से सम्बन्ध
- जनवकालत के चरण- मुद्दों की पहचान एवं विश्लेषण



जनवकालत का अर्थ है सरकार के सामने जनता की समस्याओं को प्रस्तुत करने का एक प्रक्रिया। इससे सरकार को जनता की समस्याओं का पता चलता है और वे इन समस्याओं को हल करने में मदद कर सकते हैं।

सत्र 5 जनवकालत- अर्थ और उद्देश्य

समय : 2 घंटे

सत्र का सम्पूर्ण उद्देश्य

जनवकालत के विचारों, रणनीतियों और तरीकों की वैचारिक रूपरेखा से परिचित होना

सत्र के विशेष उद्देश्य

- प्रशिक्षण के प्रथम दिवस की समीक्षा
- जनवकालत की विभिन्न परिभाषाओं का वर्णन
- स्थानीय संदर्भ में जनवकालत की प्रासंगिकता का वर्णन
- पहचान करें, क्या जनवकालत है और क्या जनवकालत नहीं है?

गतिविधियाँ	समय (मिनट)	
गतिविधि 5.1 दैनिक समीक्षा	30	(30)
गतिविधि 5.2 जनवकालत की परिभाषा की रचना	45	(75)
गतिविधि 5.3 जनवकालत के उद्देश्य व मकसद	15	(90)
गतिविधि 5.4 क्या जनवकालत नहीं है	15	(105)
गतिविधि 5.5 समग्र चर्चा और निष्कर्ष	15	(120)

अग्रिम तैयारी

- यह इस प्रशिक्षण कार्यशाला का केन्द्रीय सत्र है, इसलिए निश्चित ही इसे सावधानीपूर्वक चलाना चाहिए। दो संस्थागत परिभाषाएँ— जो कि, एडवोकेसी इन्स्टीट्यूट, वाशिंगटन, यू.एस.ए. ; और नैशनल सेंटर फॉर एडवोकेसी स्टडीज, पुणे, भारत द्वारा दी गयी हैं— इस मैनुअल में शामिल की गयी हैं। मगर, सुगमकर्ता को भी विषय की समझ होनी चाहिए जो कि जनवकालत सम्बन्धी कार्य की पढ़ाई, अभ्यास और अनुभव पर आधारित होनी चाहिए।
- विशेषकर सुगमकर्ता इस योग्य हो कि वह सैद्धान्तिक तथ्यों को सामाजिक जीवन के व्यवहारिक उदाहरणों से जोड़ सके।
- प्रदर्शन हेतु कुछ प्रकाशन तैयार करें— जैसे, लेख, किताबें, जीवन दर्शन, समाचार पत्र आदि। आप इस सामग्री को उन्हें प्रस्तावित कर सकते हैं जो जनवकालत की सैद्धान्तिक रूपरेखा के विषय में अधिक जानना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए, आपको प्रशिक्षण हाल के कोने में एक प्रदर्शन कोना तैयार करना चाहिए।
- जिनके पास इन्टरनेट की सुविधा है उनके लिए यह बहुत मददगार हो सकता है (यदि सम्भव हो) कि आप भविष्य में व्यक्तिगत शोध और अध्ययन हेतु उन्हें कुछ वेबसाइट उपलब्ध करवायें।

सत्र के लिए आवश्यक सामग्री

- संसाधन सामग्री 5.1 जनकालत : एक वैचारिक समझ
संसाधन सामग्री 5.2 जनकालत के उद्देश्य और मकसद
संसाधन सामग्री 5.3 क्या जनकालत नहीं है
संसाधन सामग्री 5.4 अधिकार आधारित कार्यशैलियों और जनकालत में सम्बन्ध
संसाधन सामग्री 5.5 जनकालत के तरीके
संसाधन सामग्री 5.6 एक नाटक के लिए रूपरेखा

अन्य सामग्री

गतिविधि 5.1 दैनिक समीक्षा

समय : 30 मिनट

पूर्व दिवस की समीक्षा, सहभागी-केन्द्रित तरीके या सुगमकर्ता-केन्द्रित तरीके के द्वारा की जा सकती है। सहभागी-केन्द्रित तरीके के अनुसरण में समीक्षा करने हेतु पूर्व दिन के सत्र की शुरुआत में दो या तीन सहभागियों को पहचानें और उन्हें आने वाले सत्रों की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपें। पहले दिन ही विभिन्न स्वयं सेवकों का घयन करने से (सहभागियों के बीच से) पूरी कार्यशाला के सत्रों की दैनिक समीक्षा करने में आसानी होगी।

सुगमकर्ता-केन्द्रित तरीके का अनुसरण करने के लिए किसी एक सुगमकर्ता को सत्र शुरू करने के लिए निम्न या अन्य उपयुक्त तरीकों का प्रयोग करना होगा।

- सहभागियों से पूछें कि क्या उनकी सभी मूलभूत जरूरतों की पूर्ति हो गई है (जैसे, खाने की समस्या, सुविधाओं के सम्बन्ध में कोई विषय, आदि)। यह सुनिश्चित करें कि उनके ठहरने का आरामदायक प्रबन्ध है। यदि आवासीय सम्बन्ध में कोई मुद्दा उठता है तो उसे सुलझाने के लिए तुरन्त एक जिम्मेदार व्यक्ति को सौंप दें। यदि कोई गम्भीर मसला हो तो, जिसने वह बात उठाई हो, उससे प्रार्थना करें कि वह आपसे अवकाश के दौरान मिले, जिससे कि उक्त मसले का हल निकाला जा सके।
- समीक्षा का प्रारम्भ एक खुले प्रश्न के साथ करें, 'कल क्या हुआ था?' कुछ लोगों के विचार सुनने के बाद उन्हें कहें कि आप शीघ्र ही अपने दृष्टिकोण से भी समीक्षा करेंगे। तब पूर्व दिवस की चर्चा के आधार पर, निम्न क्षेत्रों पर अपने विचार व्यक्त करें। लेकिन यह ध्यान रखें कि आप समीक्षा के लिए 15 मिनट से अधिक समय न लें।
 - विषय-वस्तु : विषयों की एक लघु सूची दें जो कि पूर्व के दिन की चर्चा के आधार पर हो और अपनी राय दें कि क्या विषय सामग्री सभी/अधिकांश सहभागियों को समझ आ गयी थी। सभी सत्रों का उल्लेख सुनिश्चित करें।
 - सहभागिता का स्तर : सहभागिता के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण दें। उदाहरण के लिए, यदि आप समझते हैं कि कुछ लोग ज्यादा वर्चस्व दिखा रहे हैं और कुछ खामोश बैठे हैं तो आप बता सकते हैं और समूह से भी पूछ सकते हैं कि, क्या वह इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं।
 - समय रचना : पूर्व सत्रों में चुने गये विषयों पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय था या नहीं। इन पर अपनी राय बतायें। क्या सहभागी सत्रों में समय पर आते हैं। यदि परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता है तो चर्चा करें और अन्तिम निर्णय लें।
 - अन्य रोचक घटनायें: यदि कोई अन्य विषय हो या घटना हो, जो कि ज्ञानवर्धक या रुचिकर हो, तो उस पर पुनः चर्चा कर उसको बांटें।
 - सहभागियों से पूर्व दिवस के उनके अनुभवों के बारे में पूछें। उनको ध्यानपूर्वक सुनें। यदि कोई सुझाव आता है तो उसको लिखें जिससे कि उसका समाधान हो सके। आप इस चर्चा को समय सीमा के हिसाब से बढ़ा सकते हैं।

गतिविधि 5.2 जनवकालत की परिभाषा की रचना

समय : 45 मिनट

इस सत्र को कई तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है। एक समूह कार्य पर आधारित तरीके का वर्णन नीचे दिया गया है—

- जनवकालत के अर्थ को समझने के लिए व्यक्तिगत और समूह कार्य।
 - सर्वप्रथम, प्रत्येक सहभागी से पूछें कि, 'जनवकालत क्या है?' उनको इस प्रश्न के उत्तर में, व्यक्तिगत रूप से, अपनी नोटबुक में कुछ मुख्य शब्द लिखने को कहें।
 - तब सहभागियों को कहें कि वह जोड़े बनायें और उन समान मुख्य शब्दों या वाक्यांशों की सूची बनायें जो उन्होंने लिखे हैं।
 - उसके बाद चार लोगों का समूह बनायें और इन नये समूहों को पूर्व में लिखे हुए शब्दों को जोड़ते हुए जनवकालत की परिभाषा बनाने को कहें।
 - हर समूह से जनवकालत की परिभाषा प्रस्तुत करने को कहें। बाद में सुगमकर्ता के रूप में, और सभी समूहों की टिप्पणियों का प्रयोग करते हुए, परिभाषाओं में प्रस्तुत मुख्य शब्दों को नोट करें।
 - अब सहभागियों को चार समूहों में बांट दें और उन्हें उन सभी मुख्य शब्दों की सूची दें जो प्रस्तुतियों से नोट करे गये हैं। अब हर समूह से कहें कि वह जनवकालत की पूर्ण परिभाषा तैयार करें।
 - यह प्राथमिक चरण समूह-विशेष की स्थिति पर निर्भर करते हैं तथा आप इनको कम भी कर सकते हैं। प्राथमिक सिद्धान्त है— व्यक्तिगत समझ को सामूहिक समझ में परिवर्तित करना।
- हर समूह से कहें कि वह अपनी परिभाषाओं का प्रस्तुतिकरण करें। अन्ततः आपके पास समान मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हुए जनवकालत की चार परिभाषाएँ होंगी।
- अब समग्र रूप से जनवकालत की कई परिभाषाएँ प्रस्तुत करें जो कि, सं.सा. 5.1 में दी गयी हैं। इन परिभाषाओं को उन परिभाषाओं के मुख्य शब्दों से जोड़ें जो सहभागियों से प्राप्त हुई हैं। जहाँ तक सम्भव हो, यह अंकित करें किस प्रकार समूह कार्य में प्रस्तुत मुख्य शब्द आपके द्वारा प्रस्तुत परिभाषाओं से मेल खाते हैं।

गतिविधि 5.3 जनवकालत के उद्देश्य और मकसद

समय : 15 मिनट

- जनवकालत के उद्देश्य और मकसद प्रस्तुत करें जो कि सं.सा. 5.2 में दिये गये हैं।
- यदि समय हो तो एक चर्चा शुरू करें, सहभागियों से यह पूछकर कि, हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्र के सन्दर्भ में जनवकालत क्यों आवश्यक है। मगर, आपको समय का प्रबन्धन करना होगा। यदि इस गतिविधि में ज्यादा समय लग रहा है तो यह निर्देशित करें कि इस विषय में सत्र के अन्त में चर्चा होगी।

गतिविधि 5.4 क्या जनकालत नहीं है

समय : 15 मिनट

कई लोगों ने जनकालत में सब कुछ मिलाना शुरू कर दिया है, जिससे अन्त में इस शब्द का अर्थ कुछ भी निकल सकता है। इस अस्तमंजस को दूर करने के लिए इस चर्चा को आयोजित किया जाना जरूरी है। इसलिए, सुगमकर्ता को सत्र के इस भाग को प्रारम्भ करने से पूर्व इस विषय पर स्पष्ट होना चाहिए।

- आप सत्र के इस भाग को एक छोटे नाटक से शुरू कर सकते हैं। एक नाटक की रूपरेखा सं. सा. 5.6 में दी गयी है। यह केवल एक उदाहरण है। आप किसी अन्य नाटक का भी चयन कर सकते हैं जो कि आपके समूह के परिपेक्ष में आपको उपयुक्त लगे। इस भाग को दिये गये समय में ही पूरा करने हेतु इस नाटक में 5 मिनट से अधिक समय न लगाए।
- नाटक के मंचन के बाद सहभागियों से कई प्रमुख प्रश्न पूछें, यह जानने के लिए कि नाटक के किन पहलुओं का जनकालत से सम्बन्ध था और किन का नहीं था।
- सं.सा. 5.3 आपको सत्र का सारांश करने में मदद करेगी। इसके साथ आप अन्य संकेत या विचार भी जोड़ सकते हैं।

गतिविधि 5.5 समग्र चर्चा और निष्कर्ष

समय : 15 मिनट

- उपरोक्त प्रस्तुति के बाद आप मंच को समग्र चर्चा के लिए खोल दें। आप सहभागियों से निवेदन कर सकते हैं कि वे विभिन्न प्रस्तुतियों से प्राप्त विचारों और प्रभावों को आपस में बांटें और इस सत्र के प्रसंग में अपने वास्तविक सन्दर्भों से सम्बन्ध बनायें। कई सहभागी स्पष्टता के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके पास इतना समय नहीं हो सकता कि आप सभी को जवाब दे सकें। जो समय आपके पास है आप उस आधार पर चर्चा को रोक सकते हैं और 'जनकालत की वैचारिक समझ' (सं.सा. 5.1) नामक पत्रक बांट सकते हैं। सहभागियों से कहें कि वह अधिक स्पष्टता के लिए इसे सावधानीपूर्वक पढ़ें।

5.1 जनवकालत: एक वैचारिक समझ

जनवकालत का शब्दकोषीय अर्थ है :

'एक विचार, एक कार्यप्रणाली या मरोसे को जनसमर्थन देना'

ऑक्सफोर्ड एडवान्स्ड लर्नर्स डिक्शनरी

हालांकि, विकास कार्य के सन्दर्भ में, हमें कई और तथ्य जोड़ने पड़ेंगे। जैसे कि, तीन विभिन्न संस्थाओं ने जनवकालत को परिभाषित किया है-

'जनवकालत परिणाम को प्रभावित करने का अनुसरण है- राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं के अन्तर्गत नीतियों और संसाधनों के आवंटन का निर्णय-जो कि लोक जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।'

एडवोकेसी इन्स्टीट्यूट वर्किंग डेफिनेशन

'जनवकालत एक योजनाबद्ध और संगठित कार्यप्रणाली है, यह प्रभावशाली रूप से जनता की नीतियों को प्रभावित करती है और उनको इस प्रकार लागू करवाती है जिससे उपेक्षित वर्गों को भाक्ति प्राप्त हो सके। एक स्वतंत्र लोकतान्त्रिक स्थिति में यह लोकतंत्र के तरीके का प्रयोग कर अहिंसा व संवैधानिक साधनों को ग्रहण करती है।'

नैशनल सेंटर फॉर एडवोकेसी स्टडीज, पुणे, भारत

'जनवकालत नीति निर्धारकों को प्रभावित करने की योजनाबद्ध प्रक्रिया है'

केअर इन्टरनैशनल

इस प्रकार, हर स्तर पर उत्तम अभिशासन की प्राप्ति के लिए जनवकालत एक प्रभावशाली पैमाना है (देखें 'उत्तम अभिशासन' सत्र 6 में)। सत्ता के विकेन्द्रीकरण के विचार के अन्तर्गत कुछ विशेष मददगार स्थितियों की पहचान हुई है। यह स्थितियाँ उत्तम अभिशासन के स्तर के आंकलन के लिए समाज में मानकों की तरह उपयोग की जा सकती हैं। यह उन मापदण्डों का वर्णन करती हैं जिनके अन्तर्गत सरकारी व निजी संस्थाओं को अपने कार्यक्रम चलाने चाहिए। उदाहरण के लिए, ऐसा एक मापदण्ड है कि यहाँ एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके द्वारा आम आदमी, देश के नागरिक, होने के नाते अवसर व अधिकार के साथ संस्थाओं व व्यक्तिगत लोगों की समीक्षा कर सके कि वह इन मानकों का अनुसरण कर रहे हैं या नहीं। इस अधिकार का सम्मान करने से अधिकार-आधारित विकास की कार्यशीली को बल मिलता है। यदि जनता यह निश्चित कर ले कि सरकार और निजी संस्थाएँ इन मापदण्डों का अनुसरण नहीं कर रही हैं तब उनको अपनी आवाज उठाने का अवसर मिलना चाहिए और प्रभावशाली ढंग से सुनवाई होनी चाहिए। अन्य शब्दों में, वह जनवकालत की पहल कर सकते हैं। इसलिए, उत्तम अभिशासन के लिए अधिकार-आधारित कार्यशीली और जनवकालत के प्रयासों का आपस में गहरा सम्बन्ध है।

हम उपर्युक्त जनवकालत की परिभाषाओं से और ज्यादा अन्तर्ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं :

‘जनवकालत परिणाम को प्रभावित करने का अनुसरण है— राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं के अन्तर्गत नीतियों और संसाधनों के आवंटन का निर्णय — जो कि लोक जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।’ जनवकालत के अनुभवों की विविधता और विभिन्न सन्दर्भों में दृष्टिकोण का ध्यान रखते हुए एडवोकेसी इन्स्टीट्यूट का यह मानना है कि जनवकालत की कोई एकाकी कार्यशैली नहीं है। जनवकालत करने वाले जिस भी कार्यविधि को अपने सन्दर्भ में प्रयोग करते हैं, उसका आदर होना चाहिए और जनवकालत अभ्यास करने वालों में उसे बांटना चाहिए।

‘जनवकालत एक योजनाबद्ध और संगठित कार्यप्रणाली है, यह प्रभावशाली रूप से जनता की नीतियों को प्रभावित करती है और उनको इस प्रकार लागू करवाती है जिससे उपेक्षित वर्गों को शक्ति प्राप्त हो सके। एक स्वतंत्र लोकतान्त्रिक स्थिति में यह लोकतंत्र के तरीकों का प्रयोग कर अहिंसा व संवैधानिक साधनों को ग्रहण करती है।’ यह परिभाषा संकेत देती है कि नैशनल सेंटर फॉर एडवोकेसी स्टडीज, ने स्पष्ट तौर पर यह पहचान की है कि लोकतान्त्रिक समाज में जनवकालत और राजनैतिक व्यवस्था में सम्बन्ध है। इनका तर्क है कि, जनवकालत का प्रयास, विरोध करने, बात करने और रणनीति बनाने पर केन्द्रित होना चाहिए। अंततः, इस प्रयास से ताकत का निर्माण होना चाहिए जो इस व्यवस्था के अन्तर्गत गरीबों के हितों की नीतियों को बढ़ावा दे सके। इसलिए, इनके अनुसार, यह अति आवश्यक है कि जनवकालत उपेक्षित वर्गों को सशक्त कर सके न कि उनको उनके अधिकारों को उपहारस्वरूप प्रदान करे या उनकी जरूरतों की आपूर्ति करे।

‘जनवकालत नीति निर्धारकों को प्रभावित करने की योजनाबद्ध प्रक्रिया है।’ केअर ने परिभाषा में प्रयुक्त मुख्य शब्दावली को भी परिभाषित किया है।

- जनवकालत एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है : यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप किसे प्रभावित करना चाहते हैं और कौन सी नीतियां बदलना चाहते हैं।
- जनवकालत उनको प्रभावित करती है जो नीतियां बनाते हैं : यह प्रभाव केवल विरोधात्मक तरीकों या सरकार पर ‘चिल्लाने’ से ही नहीं पड़ता है।
- जनवकालत उनको प्रभावित करती है जो नीतियां बनाते हैं : जनवकालत उन नीति निर्माताओं तक सीमित नहीं है जो सरकार के लिए कार्य करते हैं। निजी क्षेत्रों के संस्थान या नागर समाज संगठन भी अपने-अपने स्तर पर नीतिगत निर्णय लेते हैं।

उपरोक्त परिभाषाओं एवं अन्तर्ज्ञान का विश्लेषण

उपरोक्त परिभाषाओं को विश्लेषित करते हुए जनवकालत के तत्व निम्नवत् रखे जा सकते हैं। जनवकालत है :

- एक योजनाबद्ध, संगठित और तर्कपूर्व प्रक्रिया जो कि वास्तविक सन्दर्भों पर आधारित है;
- एक प्रक्रिया, उन विषयों पर प्रकाश डालने के लिए जिन्हें कुछ व्यक्तिगत या संस्थागत लोगों ने विशेष सन्दर्भों में अनदेखा कर दिया है।
- ‘क्या होना चाहिए,’ के दृढ़ निश्चयात्मक दृष्टिकोण के साथ किया गया कार्य जो कि मानव अधिकारों पर आधारित है और संवैधानिक कार्य योजना के तहत है।


- न्यायसंगत व सभ्य समाज बनाने के लिए उपेक्षित व गरीब लोगों की आवाज उठाने की प्रक्रिया।
- कानूनों एवं जन-नीतियों को बनाने व क्रियान्वित करने वाले सरकारी कर्मचारियों की मनोवृत्तियों को तर्कपूर्ण बहस के द्वारा प्रभावित करने की प्रक्रिया। जिससे कि समाज को अधिक न्याय संगत बनाने के आज के लक्ष्य को भविष्य की वास्तविकता में बदला जा सके।
- एक राजनैतिक तरीका, यद्यपि यह दलगत राजनीति और वैचारिक आधार पर राजनैतिक बंटवारों से ऊपर है।
- एक सामूहिक प्रयास सरकार को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने का।
- गरीबी और भेदभाव के नीतिगत कारणों को सम्बोधित करने की रणनीति— इसलिए, इसका लक्ष्य नीति निर्धारकों के निर्णयों को स्पष्ट संकेतों द्वारा प्रभावित करना होता है।

5.2 जनवकालत के उद्देश्य व मकसद

आज के दौर में गरीबी की पीड़ा को कम करना अधिकांश विकास ऐजेन्सियों का प्रमुख एजेण्डा बन गया है। यद्यपि कई दशकों से यह एक बहुत बड़ा एजेण्डा है और इसके तहत काफी व्यय भी हो रहा है, फिर भी, कई क्षेत्रों में गरीबी बढ़ रही है। आवश्यकता-आधारित विकास की कार्यशैली कुछ धनात्मक परिवर्तन लायी है लेकिन, स्थायी परिवर्तन अभी भी एक चुनौती है। विकास व्यवसायियों को अब आभास हो रहा है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन समाधान आवश्यक हैं। स्थायी परिवर्तन की प्राप्ति हेतु नीतिगत निर्णयों को गरीबों के हितों में प्रभावित करना एक महत्वपूर्ण तत्व है।

हम किस प्रकार इस दृष्टिकोण तक पहुंचे हैं? विकास कार्यकर्ता धीरे-धीरे यह महसूस कर रहे हैं कि निजी (बाजार और नागर समाज) और सार्वजनिक जीवन (राज्य) में कई कलाकार हैं जो काफी शक्तिशाली हैं। यह कलाकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से, जानबूझ कर या अज्ञानतावश, भयंकर असुरक्षा (भोजन में, जीवनयापन में, स्वास्थ्य में, आदि) में योगदान कर रहे हैं और उपेक्षित लोगों और समुदायों के मानव अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इन शक्तिशाली भागीदारों की नीतियों एवं गतिविधियों में बदलाव लाने से एक अर्थपूर्ण बदलाव प्राप्त किया जा सकता है। जनवकालत के प्रयासों का अन्तिम लक्ष्य यह होता है कि चिन्हित लोगों को असुरक्षा के बाहर लाया जाए। जबकि ऐसी पहल नीति निर्धारकों को और लागू करने वालों को, घरेलू स्तर से ऊपर उठकर, निशाना बनाती है मगर इसकी पैठ लोगों में होनी चाहिए। इसलिए जनवकालत निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है :

- सामाजिक न्याय सुगम करना— उपेक्षित वर्गों को 'आवाज' देना व सम्बद्ध स्थानों की निर्णय प्रक्रिया में उनकी पहुंच बनाना।
- इन संस्थाओं और उनके निर्णयों से प्रभावित लोगों के बीच शक्ति सम्बन्धों को परिवर्तित करना— इस प्रकार इन संस्थाओं को बदलना।
- लोगों के जीवन में स्पष्ट सुधार लाना।



इस सन्दर्भ में, जनवकालत के प्रयास सामान्यतः जनता की उन्नति को बढ़ावा देते हैं और वंचित समूहों को सामाजिक न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। वह समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण की दिशा में केन्द्रित रहते हैं। जनवकालत जनता से जुड़े मुद्दों को आगे लाने के लिए सभी उपलब्ध साधनों और तरीकों का उपयोग करने का प्रयत्न करती है, जिससे कि, जन-नीतियों द्वारा उन लोगों की स्थिति में सुधार लाया जाए जिनकी आज की सामाजिक व राजनैतिक व्यवस्था में कमजोर आवाज़ व सीमित शक्ति है। इसलिए जनवकालत प्रारम्भ करते समय निम्न बिन्दुओं पर गौर करना आवश्यक है :

- गरीबी और भेदभाव, घरेलू व अन्य कई स्तरों पर लिये गये निर्णयों के कारण है। यह केवल गरीबों के "आलसीपन" या "अत्यधिक जनसंख्या की आदत" या "छोटे अधिकारियों के भ्रष्टाचार" या ऐसे अन्य कारणों की वजह से नहीं है। ऐसा स्पष्टीकरण तो सत्ता में काबिज लोग अपने दायित्व से बचने के लिए देते हैं। गरीबी और भेदभाव के मुख्य कारण तो सत्ता में काबिज लोगों की नीतियां और गतिविधियाँ हैं।
- केवल वर्तमान सरकार ही नहीं बल्कि निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के कई अन्य कलाकार भी मानव असुरक्षा और मानव अधिकारों के हनन में योगदान करते हैं।
- केवल एक व्यापक कार्यक्रम रणनीति ही, जो कि कई कारणों के साथ-साथ नीतिगत कारणों को भी निशाना बनाती है, इच्छित प्रभाव ला सकती है।
- यह माना जा सकता है कि, उपेक्षित लोगों के हितों में नीतियां हमेशा परिवर्तित हो सकती है; बजाय इसके कि स्थापित नीतियों को ही स्वीकारा जाये (चाहे वह कितने ही लम्बे समय से क्यों न चल रही हों) बिना परिवर्तित रूप के। अन्ततः जनवकालत स्पष्ट रूप से नीतियों को बदलने में प्रयासरत होती है।

उपरोक्त आधार पर हम तीन केन्द्रीय क्षेत्रों के लिए जनवकालत की रणनीतियों को चिन्हित कर सकते हैं :

नीतियाँ : नीतियाँ बनाना और सुधारना

व्यवहार : यह सुनिश्चित करना कि नीतियाँ विधिवत लागू की जा रही हैं

लोग : अपने अधिकारों की मांग के लिए जनता को सशक्त बनाना

यह एक आम धारणा है कि, गरीबी व भेदभाव के नीतिगत कारणों को सम्बोधित करने से और नीति निर्धारकों और उनको क्रियान्वित करने वालों के व्यवहार को प्रभावित करने से – विशेषकर जब यह प्रभाव प्रत्यक्षतः जनता के द्वारा हो— हम, लोगों के अधिकारों की पूर्ति कर सकते हैं, उपेक्षित वर्गों को अधिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और, दीर्घकाल में, बहुत बड़ी जनसंख्या को स्थायी रूप से लाभान्वित कर सकते हैं।

5.3 क्या जनवकालत नहीं है?

जब अच्छी सरकार का स्वरूप विकास के अखाड़े में एक प्रभावशाली विचार बन जाये तब जनवकालत हर स्तर पर उत्तम अभिशासन को बढ़ावा देने का माध्यम बन जाती है। किंतु, अच्छी सरकार का स्वरूप बड़ा अस्पष्ट है और एक निश्चित स्वरूप का पता लगाना बड़ा कठिन हो सकता है (देखें भाग 'उत्तम अभिशासन' पर)। इसके परिणामस्वरूप जनवकालत भी एक विचारधारा बन गयी है जिसके व्यापक अर्थ हैं। इसलिए, यह चिन्हित करना आवश्यक है कि क्या जनवकालत नहीं है। इस स्पष्टता तक पहुंचने में निम्न बातें हमारी मदद कर सकती हैं।

- **प्रचार-प्रसार का कार्य:** सभी प्रकार का प्रचार-प्रसार का कार्य जनवकालत नहीं है। प्रचार-प्रसार का मुख्य उद्देश्य है लोगों के जीवन यापन से जुड़े विभिन्न सूचनात्मक तथ्यों को उपलब्ध कराना। यह कार्य मुख्यतः व्यक्तिगत निर्णयों को प्रभावित करने हेतु योजित किया जाता है, लेकिन, नीति निर्धारण करने वालों के निर्णयों को नहीं जो कि, एक साथ कई लोगों को प्रभावित करते हैं।
- **सूचना, शिक्षा और संचार :** यह कार्य व्यक्तिगत स्तर पर लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका प्रयोग शौचालयों को या निरोध के प्रयोग को बढ़ावा देने इत्यादि, के लिए किया जा सकता है। हालांकि, इस प्रकार के अनियान की तुलना में जनवकालत बहुत बड़ी है। उदाहरण के लिए जनवकालत का प्रयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक धन आवंटित करने के लिए किया जा सकता है।
- **सरकार को किसी विशेष संस्थान के विषय में सूचना देना :** विभिन्न संस्थानों के बीच, किसी निश्चित उद्देश्य के बिना, सूचना का साधारण आदान-प्रदान वास्तव में जनवकालत नहीं माना जा सकता जब तक कि यह सरकार या किसी विभाग को प्रभावित करने का योजनाबद्ध प्रयास न हो। इसलिए, यदि किसी सरकारी एजेंसी को विशेष नीति निर्णय को प्रभावित करने के उद्देश्य से विश्लेषणात्मक सूचना दी जा रही है तो वह जनवकालत के प्रयास का एक भाग हो सकता है। हालांकि, निर्णय लेने वालों से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाना भी जनवकालत की बुनियाद हो सकता है— और इस प्रकार की सूचना का आदान-प्रदान जनवकालत की दिशा में एक प्रभावशाली कदम हो सकता है।
- **किसी कार्यक्रम के प्रति जन-जागरूकता :** विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा जनता को किसी संस्थान और उनके कार्यक्रमों के विषय में जागरूक करा जा सकता है। वर्तमान में इस उद्देश्य के लिए *वेबसाइट्स* का प्रयोग किया जा रहा है। यह आवश्यक नहीं है कि, इस प्रकार का सूचना प्रवाह किसी मुद्दे पर राय बनाने में मदद करेगा। जनवकालत के प्रयासों का यह

भी इरादा होता है कि संचार माध्यमों का प्रयोग नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाये। अन्तर इतना है कि जनवकालत के उद्देश्य के लिए किया जा रहा सूचना प्रवाह एक निश्चित मुद्दे पर केन्द्रित होता है और उस मुद्दे पर राय बनाने में मदद करता है।

- **धनराशि का प्रबन्ध करना** : जनवकालत का प्राथमिक उद्देश्य किसी विशेष एजेन्सी या मकसद के लिए धनराशि का प्रबन्ध करना नहीं है। हालांकि, कभी-कभी जनवकालत में उस प्रकार के निर्णयों को प्रभावित करना आवश्यक हो जाता है जो धन आवंटन से सम्बन्धित होते हैं। इस प्रकार की जनवकालत के कारण विशेष एजेन्सियों को पहले से अधिक धन प्राप्त हो सकता है। किंतु, यह केवल एक आकस्मिक परिणाम है।
- **निगरानी रखना** : निगरानीकर्ता की भूमिका एक निश्चित समूह के हितों की रक्षा के लिए होती है जिससे उन क्रियाओं पर रोक लगाई जा सके जो इस समूह पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। मगर, जनवकालत तब की जाती है जब कुछ गलत घटित हो जाता है। निगरानी प्राथमिक रूप से एक रक्षात्मक प्रयास है जबकि जनवकालत एक आरोग्यात्मक प्रयास है।

5.4 अधिकार-आधारित कार्यशैली और जनवकालत के बीच सम्बन्ध

विकास की अधिकार-आधारित शैली हमें प्रोत्साहित करती है ताकि हम गरीबों और हर मनुष्य के मूल सम्मान पर ध्यान दें, बजाय इसके कि हम केवल गरीबी के लक्षणों या भौतिक जरूरतों पर ध्यान दें। क्योंकि, दुनिया में अधिकांश लोग गरीब हैं या हाशिये पर हैं इसलिए, कई विकास एजेन्सियाँ विभिन्न आदर्शों और घोषणापत्रों के साथ कार्यरत हैं। यह सभी एजेन्सियाँ अलग-अलग रूप में अपनी सेवाएँ देने के लिए तैयार हैं, जिससे कि, गरीबी की पीड़ा को कम किया जा सके। हालांकि, इस प्रकार की पीड़ा के मूल कारण अभी भी हटाये नहीं जा सके हैं परिणामतः हममें से कई हालात से समझौता करते हुए इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि गरीबी व उपेक्षा जीवन की अपरिवर्तनीय स्थितियाँ हैं। अधिकार-आधारित कार्यशैली इस प्रकार के समझौते को नकारती है और मूल कारणों को दूर करने का प्रयास करती है, साथ ही, यह कार्यशैली तत्कालिक आराम के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों की महत्वता से भी इन्कार नहीं करती। अधिकार-आधारित कार्यशैली के मूल दबाव निम्न हैं :

- यह समझना कि मनुष्य मात्र के अन्तर्निहित अधिकार हैं जो कि मानव अधिकार के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों में वर्णित हैं, और कई प्रकार से देश स्तर के नियमों में सम्मिलित हैं;
- उन व्यक्तियों या समूहों के लिए कार्यक्रम विकसित करना जो लाभ से वंचित हैं— लेकिन प्राथमिक रूप से भेदभाव व शोषण पर केन्द्रित हों जिससे वह जूझ रहे हैं, बजाय इसके कि केवल सामग्री के आभाव पर ही केन्द्रित हों;
- उन विषयों पर ध्यान केन्द्रित करना जिनको पूर्व में अधिकता से परे समझा जाता रहा है क्योंकि वे सत्ता और राजनीति से नजदीकी रूप से जुड़े हैं/थे;
- अधिकार प्राप्तकर्ता का सशक्तिकरण जिससे कि वह अपने अधिकारों को जानें और उनकी मांग करें और कर्तव्य वहन करने वालों को प्रोत्साहित करें कि वह समाधान का हिस्सा बनें;
- विकास एजेन्सियों (दोनों निजी या सरकारी) को प्रोत्साहित करना कि वह लोगों के प्रति पारदर्शी व जवाबदेह हों, बजाय इसके कि वे इस तरह की पारदर्शिता या जवाबदेही को इस आधार पर नकारें कि वे 'हितकर्ता' हैं ;

- विकास कार्यों को विभिन्न स्तरों पर पुनर्केन्द्रित करना न कि केवल सूक्ष्म स्तर पर ही (व्यक्तिगत, घरेलू स्तर, छोटे समुदायों आदि); और
- उन नीति निर्माता/लागू करने वालों को उत्तरदायी ठहराना जो दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन नहीं कर रहे हैं, विशेषकर उपेक्षित/गरीब लोगों के प्रति।

5.5 जनवकालत के तरीके

ऐतिहासिक रूप से जनवकालत में जनसमर्थन पाने व नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का उपयोग किया जाता है। जन-समर्थन जनवकालत कार्य का एक साधन भी है और अन्त भी। यह एक 'साधन' है क्योंकि यह बदलाव की चेष्टा करने वालों की मोल-भाव की शक्ति को बढ़ाता है, और साथ ही, यह एक 'अंत' है क्योंकि यह लोगों को जागृत कर उन्हें स्वयं अपने अधिकारों की मांग करने के लिए प्रेरित करता है।

जनवकालत के साधारण तरीके, जन-संचार, न्यायपालिका, लामबंदी, *नेटवर्किंग*, संसद में प्रश्न उठाना, सूचनाओं का अधिकार, समान मस्तिष्क वाले समूहों से गठबन्धन, घर-घर जागरूकता अभियान, प्रदर्शनों के लिए व्यापक गठजोड़ और जनता द्वारा अवज्ञा, आदि हो सकते हैं। यह सभी औजार विभिन्न तरीकों, प्रयोग की स्थिति और घयन की रणनीति पर आधारित हैं। जनवकालत के पहलकारों को इन सभी जरूरतों के प्रति जानकार होना चाहिए (पंडित 2001)।

जनवकालत सामाजिक न्याय के लिए एक संघर्ष है जो कि, आसानी से प्राप्त नहीं होता। समाज में कई प्रकार के निहित स्वार्थ होते हैं, जब जनवकालत द्वारा ऐसे निश्चित निहित स्वार्थों के विरुद्ध आवाज उठाई जाती है तो, इन निहित स्वार्थों के कई प्रकार के आक्रमण का सामना करना पड़ता है। इसलिए, जनवकालत में परम्परागत तरीकों के साथ-साथ नये प्रकार के तरीकों और दक्षता की भी आवश्यकता है। इस *मैनुअल* की धारणा यह है कि परम्परागत तरीकों का उल्लेख साधारणतः पूर्व के साहित्य में मौजूद है। इनके अलावा, दक्षिण एशियाई देशों में, कुछ नये तरीकों का भी परीक्षण हुआ है, इनके बारे में निम्नवत जानकारी दी गई है :

बजट विश्लेषण : बजट विश्लेषण का बड़ा जाना पहचाना प्रयोग वर्तमान में गुजरात, भारत, में 1985 में हुआ। बाद में यह विचार पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया। आज के दिन, भारत के अन्य राज्यों के लोग भी सरकार के बजट को विश्लेषित करने में रुचि ले रहे हैं, जिससे सम्बन्धित लोग गरीबों की मलाई के लिए बजटीय तंत्र को निर्देशित करने में अपनी आवाज उठा सकें, जिस प्रकार बाजार क्षेत्र के समूह बजट को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

जनवकालत पर नवीन जानकारी : जनवकालत एक अकेली गतिविधि नहीं हो सकती है, यह कहा जा सकता है कि यह चक्राकार घूमती है, एक विषय से दूसरे विषय की ओर, और फिर वापस आ जाती है पूर्व विषय पर, लेकिन एक भिन्न स्तर पर। उदाहरण के लिए, नेपाल में बंधुआ मजदूरों का मुद्दा अब बदल गया है, हाल ही में स्वतंत्र बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित करने के मुद्दे में। क्योंकि, कई जनवकालत के समूहों को पूरी तरह जानकारी नहीं है कि अन्य क्षेत्रों/देशों के लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए आधुनिक जानकारी की जरूरत है कि, किस विषय में, और कहाँ, क्या घट रहा है। इस प्रकार की आधुनिक जानकारी पेशेवर दक्षता को सम्पन्न बनाती है और प्रोत्साहित करती है। आधुनिक जानकारी का मुख्य उद्देश्य आपस में बांटना और सीखना है। दक्षिण एशिया में, एन.सी.ए.एस., जनवकालत की विभिन्न घटनाओं को समेटते हुए पूरे भारत के संदर्भ में, आधुनिक जानकारियों को प्रकाशित करता है। दूसरे देश और समूह भी इसी प्रकार के प्रकाशनों पर विचार कर सकते हैं।

मीडिया का सर्वेक्षण : मीडिया को परम्परागत रूप से सरकार के 'धींधे राज्य' या 'धींधी भुजा' के रूप में जाना जाता है। क्योंकि नीतियों को प्रभावित करने में इसकी वृहद भूमिका है, इसलिए जनवकालत के प्रयासों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया के प्रयोग करते समय जनवकालतकर्ता को चयनशील होना चाहिए, क्योंकि यह समय व्यय करने वाला और एक विशिष्ट कार्य हो सकता है। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति या समूह जनवकालत के प्रयासों में गंभीरता से शामिल है, तो उसे मीडिया पर नियमित निगरानी रखने की जरूरत है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका विषय वांछित दिशा की ओर बढ़ रहा है या नहीं, और यह भी जानने के लिए कब और कहां हस्तक्षेप कर मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करनी है। इस उद्देश्य के लिए जनवकालत समूह, मुद्दों का विभिन्न विषयों के आधार पर वर्गीकरण कर, निरन्तर रूप से मीडिया सर्वेक्षण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक संस्था जो स्वास्थ्य के विषय पर जनवकालत कर रही है, वह सम्बन्धित विषय पर 6 प्रमुख अखबारों का नियमित सर्वे कर सकती है। तब वह यह समझ पायेगी कि कितने अखबार स्वास्थ्य के विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं और वे इस विषय को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। इस सर्वे की गणना का विश्लेषण किया जा सकता है और इसे एक विशाल श्रोतागण में बांटा जा सकता है। एन.सी.ए.एस. इस प्रकार के सर्वे का नियमित रूप से संचालन करता है और समयानुसार परिणामों को प्रकाशित करता है।

सामाजिक शक्ति का विश्लेषण : प्रत्येक विषय के परिणामों को प्रभावित करने वाली सामाजिक ताकतों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है : समर्थक, विरोधी और तटस्थ समूह। समर्थक व विरोधी ताकतें सामान्यतः अपने पक्षधरों के प्रति यफादार रहती हैं, लेकिन बहुसंख्यक तटस्थ रहते हैं— और इसलिए वे इस प्रक्रिया को इस या उस पक्ष में प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। आदर्श रूप में, प्रत्येक जनवकालतकर्ता यही कोशिश करता है कि तटस्थ ताकतों को समर्थकों में बदल दे जिससे कि वह मुद्दे को अपने पक्ष में कर सकें। हालांकि, इस प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगता है, और साथ ही, तटस्थ ताकतें विरोधियों में भी शामिल हो सकती हैं। यह जनवकालत के विषय और गतिविधियों पर निर्भर है। इसलिए, समझदारी यह है कि तटस्थ सामाजिक ताकतों की गतिविधियों की निगरानी करे और जाने कि क्या वे समर्थकों की दिशा में झुक रही हैं या विरोधियों की दिशा में। यह गोष्ठियों, सार्वजनिक सुनवाई और अनौपचारिक वार्तालापों द्वारा किया जा सकता है।

क्षमता निर्माण : क्षमता निर्माण के कार्यक्रम स्वाभाविक रूप से जनवकालत के तरीके नहीं हैं। मगर उत्तम अभिशासन को बढ़ावा देने की दिशा में आयोजित सभी क्षमता निर्माण कार्यक्रम जनवकालत के तरीकों के रूप में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि, खराब अभिशासन हमेशा जानते-समझते हुए अस्तित्व में नहीं आता। स्थानीय स्तर पर उत्तम अभिशासन के कई मापदण्डों की अनदेखी हो रही है क्योंकि इस स्तर पर कार्य कर रहे लोगों की क्षमतायें सीमित हैं। यदि कोई इन लोगों की क्षमता का विकास करता है तो यह माना जा सकता है कि, इन लोगों में से कुछ लोग तो उत्तम अभिशासन के नियमों का पालन करेंगे। इसके अलावा, हर समय 'जनवकालत' शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यदि श्रोता समूह इस शब्दावली को सहज नहीं पाता है तो इसका प्रयोग न करें।

5.6 नाटक की रूपरेखा

चार व्यक्तियों को इस नाटक के लिए तैयार करें। तीन व्यक्ति ग्रामीणों की भूमिका करें जबकि एक व्यक्ति विकास कार्यकर्ता की भूमिका में हो। विकास कार्यकर्ता गांव में घूम रही कई विकास गतिविधियों के बारे में चर्चा शुरू करता है। वह पीने के पानी, स्वास्थ्य, और गांव में स्वच्छता आदि के विषय में बात कर सकता है। ग्रामीण, स्पष्टता के लिए, कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। यह चर्चा करीब 3 मिनट की होनी चाहिए।

सत्र 6 जनककालत और उत्तम अभिशासन के बीच सम्बन्ध

समय : 2 घंटे

सत्र का सम्पूर्ण उद्देश्य

उत्तम अभिशासन के अवरोधों की पहचान और इन अवरोधों को हटाने में, एक तरीके के रूप में, जनककालत की भूमिका पर प्रतिबिम्ब

सत्र के विशेष उद्देश्य

- उत्तम अभिशासन के स्वरूप को पहचानना
- स्थानीय स्तर पर उत्तम अभिशासन के समक्ष अवरोधों का विश्लेषण करना
- इन अवरोधों को हटाने हेतु जनककालत की भूमिका पर प्रतिबिम्ब

गतिविधियाँ	समय (मिनट)	
गतिविधि 6.1 उत्तम अभिशासन की विचारधारा	15	(15)
गतिविधि 6.2 स्थानीय स्तर पर उत्तम अभिशासन के समक्ष अवरोध	30	(45)
गतिविधि 6.3 अवरोधों को हटाने के तरीकों की पहचान हेतु समूह कार्य	45	(90)
गतिविधि 6.4 उत्तम अभिशासन के स्वरूप	30	(120)

अग्रिम तैयारी

- यह भी एक वैचारिक सत्र है जो कि उत्तम अभिशासन और उसके विकास में जनककालत की भूमिका पर केन्द्रित है। सुगमकर्ता को उत्तम अभिशासन के विषय में ज्ञान होना चाहिए, विशेषकर इस सम्बन्ध में कि इसके मापदण्ड और स्वरूप क्या हैं। इस मैन्युअल में दिये गये बिन्दु बहुत संक्षिप्त हैं और सुगमकर्ताओं के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इसलिए, उत्तम अभिशासन से सम्बन्धित अन्य साहित्य भी देखें।
- यह आवश्यक है कि आप अच्छी सरकार के विभिन्न अर्थों और उनके बीच के महत्वपूर्ण अन्तर को जानें। उदाहरण के लिए, (क) विश्व बैंक, (ख) विकसित देश, (ग) विकासशील देश जैसे कि नेपाल, जैसी संज्ञाओं की विभिन्न प्रकार से व्याख्या की जा सकती है।
- हम अक्सर उत्तम अभिशासन के विषय में बात करके बहुत खुश होते हैं। आमतौर पर, इन बातों का कोई आधार नहीं होता है। हालांकि, इस प्रशिक्षण के दौरान हमारा केन्द्र व्यवहारिक और सूक्ष्म स्तर के विश्लेषण पर होना चाहिए, जो कि स्थानीय स्तरों पर उत्तम अभिशासन को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
- इस सत्र में छोटे समूह कार्य शुरू करने से पहले उत्तम अभिशासन के अवरोधों की पहचान करने में मदद के लिए सं.सा. 6.1 अग्रिम रूप से वितरण हेतु तैयार रहनी चाहिए।

सत्र के लिए आवश्यक सामग्री

- संसाधन सामग्री 6.1 उत्तम अभिशासन
संसाधन सामग्री 6.2 लिंकेज फ्रेमवर्क 1, 2 और 3

अन्य सामग्री

गतिविधि 6.1 उत्तम अभिशासन की विचारधारा

समय : 15 मिनट

- यह सत्र वार्तालाप के रूप में शुरू होना चाहिए जिससे सहभागियों को विचारधारा से परिचित किया जा सके। एक सुझाव यह है कि आप सत्र की शुरुआत 'चाकलेट गेम' से करें।
 - प्रशिक्षण स्थल के मध्य में कुछ टॉफी रखें जिनकी संख्या सहभागियों की संख्या से आधी या कम हो। यह टॉफी सभी सहभागियों को दिखनी चाहिए। यह टॉफी इस प्रकार की हो जो कि आसानी से टूट न सके (जैसे गोल या सख्त टॉफी)
 - सहभागियों के बीच से उनके प्रतिनिधि के रूप में दो लोगों का चयन करें।
 - उनसे इन टॉफियों को इस प्रकार बाँटने के लिए कहें कि सहभागी सन्तुष्ट हो जायें। उनसे कहें कि इसके लिए उनके पास मात्र तीन मिनट का समय है।
 - यह न बतायें कि टॉफी कैसे बँटेगी। केवल उनके बाँटने के तरीके को देखें।
 - तीन मिनट पश्चात इस गतिविधि को रोक दें।
- इस गतिविधि पर चर्चा शुरू करें। अभिशासन की क्रियाओं से इनकी तुलना करें। इस चर्चा के लिए संकेत दिए गये हैं (क) प्रतिनिधियों की आवश्यकता है, (ख) संसाधन हमेशा सीमित हैं, (ग) चारों ओर के लोग एक जैसे नहीं हैं आदि। इस खेल व चर्चा में दस मिनट से ज्यादा समय न लगायें। यह अभ्यास सहभागियों को उत्तम अभिशासन के विषय से परिचित करायेगा।

गतिविधि 6.2 उत्तम अभिशासन में अवरोध

समय : 15 मिनट

- सं.सा. 6.1 में दिये गये तीन *स्लाइड्स* का प्रस्तुतिकरण करें (केवल अर्थ और मापदण्ड)। अभिशासन कैसा हो यह हमें इसके अर्थ से समझ आता है। मगर, समस्या यह है कि इसमें व्यवहारिक रूप से कुछ कमी है। यह बतायें कि अब हमें यह जानना है कि उत्तम अभिशासन के अवरोध क्या हैं?
- सहभागियों से उत्तम अभिशासन के अवरोधों को एकत्र करने के लिए "स्नो बालिंग" तरीके का प्रयोग करें। यह प्रक्रिया निम्न प्रकार से है-
 - सभी सहभागियों से उत्तम अभिशासन के पाँच सबसे महत्वपूर्ण अवरोधों को अपने *नोटपैड* पर लिखने को कहें।
 - इसके बाद दो पड़ोसी सहभागी आपस में बैठकर, अपने विचार बिन्दुओं को आपस में बाँटें व उसके बाद एक संयुक्त सूची तैयार करें।
 - इसके बाद चार सहभागियों को आपस में बैठकर, अपने विचार बिन्दुओं को आपस में बाँटने को कहें व एक संयुक्त सूची तैयार करें।
 - हर चार सहभागियों की एक सूची तैयार होने के बाद, हर समूह को अपनी सूची *बोर्ड* पर लिखने को कहें।
 - अन्ततः, आपके पास अवरोधों की एक लम्बी सूची तैयार हो जायेगी।
 - उपरोक्त अभ्यास के हर चरण पर पाँच मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए।

गतिविधि 6.3 अवरोधों पर समूह कार्य

समय : 45 मिनट

- सहभागियों को चार छोटे समूहों में बांट दें। हर समूह को चिन्हित अवरोधों की एक निश्चित संख्या दें (यदि 20 अवरोध बोर्ड पर लिखे गये हैं तो हर समूह को 5 अवरोध दें)।
- उनसे छोटे समूह में इस चर्चा को करने के लिए कहें कि इन अवरोधों को हटाने में स्थानीय तरीकों को किस प्रकार विकसित किया जाएगा। उन्हें याद दिलायें कि इन अवरोधों को हटाने के सुझाव स्थानीय दृष्टिकोण के हिसाब से विशिष्ट व व्यवहारिक हों।
- सुगमकर्ता टीम के सभी सदस्यों को, इस छोटे समूह कार्य में, सभी सहभागियों की मदद करनी चाहिए। इस अभ्यास का एक जोखिम है कि अक्सर लोगों के सुझाव स्थानीय स्तर के न होकर "वैश्विक" विचारों एवं गतिविधियों पर होते हैं। उनका दिशा निर्देशन छोटे समूहों में करें। इस समूह कार्य के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित करें। साथ ही, उनसे समूह के सदस्यों में से एक प्रस्तुतकर्ता का चयन करने को कहें।
- सभी सहभागियों से समग्र सत्र की ओर लौटने को कहें और प्रत्येक समूह को पाँच मिनट का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण करने को कहें।

गतिविधि 6.4 उत्तम अभिशासन का स्वरूप

समय : 30 मिनट

- सं.सा. 6.1 की शेष स्लाइडों का प्रस्तुतिकरण करें। यदि सभी विचार बिन्दुओं को विस्तार से समझाया जायेगा तो यह प्रस्तुति अधिक समय लेगी। समय का ध्यान रखें और उसी के अनुसार हर विवरण का समय सीमित करें।
- कुछ समय प्रश्नकाल के लिए दें। यदि सहभागी उत्तम अभिशासन व उसके स्वरूप के विषय में विस्तृत जानकारी देना चाहते हैं तो आप उनको सत्र का हैण्डआऊट पढ़ने को कहें। आप इस सत्र के बाद प्रस्तुतिकरण सेट सं. सा. 6.1 भी बांट सकते हैं।
- इस सत्र के अंत में आप *लिंगेज फ्रेमवर्क* को (सं.सा. 6.2) हैण्डआऊट के रूप में बांट सकते हैं। यह 'हैण्डआऊट' पूरे सत्र का सारांश है। यदि आप उत्तम अभिशासन के स्वरूप पर ही केन्द्रित रहना चाहते हैं तो आप इस सत्र को दो भागों में बांट दें और *लिंगेज फ्रेमवर्क* को दूसरे भाग में प्रस्तुत करें।

कुछ समय प्रश्न एवं चर्चाओं के लिए दें। इस दौरान आप प्रस्तुत विचार बिन्दुओं को जनवकालत के प्रयासों से जोड़ने की कोशिश करें। चर्चा के दौरान अपनी टिप्पणियों के निष्कर्ष द्वारा निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डालें।

- जनवकालत रिक्तता में नहीं हो सकती, यह एक वर्तमान में चल रहे कार्यक्रम का हिस्सा होती है। यह पूर्णतः कोई नया विचार भी नहीं है क्योंकि एक लम्बे समय से ऐसी गतिविधियाँ चल रही हैं। मगर, हाल ही में शब्दावली के साथ-साथ जनवकालत के विभिन्न सिद्धान्तों और तत्वों का प्रसारण भी लोकप्रिय हो गया है।

- इस प्रकार जनवकालत उत्तम अभिशासन से सम्बन्धित है। हालांकि, हमको उत्तम अभिशासन के अवरोधों को सूक्ष्म स्तर पर व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखना होगा।

जो इस सत्र में जानकारी दी गई है, वह उत्तम अभिशासन के विचार को पूर्ण रूप से समझने में पर्याप्त नहीं है। हालांकि, इस सत्र का उद्देश्य इस विषय में जागरूकता लाना है।

स्थानीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विशेष सुझाव

स्थानीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए इस सत्र के स्वरूप को बदलने की आवश्यकता है जो कि स्थानीय संदर्भ में उत्तम अभिशासन के सभी पहलुओं को उजागर कर सके। इस स्वरूप को बदलने में सं.सा. 6.1 व 6.2 मदद कर सकती है। किन्हीं संदर्भों में, इन 'हैण्डआउट' की छाया प्रतियां बांटना उचित होगा। यह विभिन्न स्तरों और संदर्भों पर निर्भर करता है।

6.1 उत्तम अभिशासन

'उत्तम अभिशासन' की बात करने से पहले 'अभिशासन' का होना जरूरी है। इसलिए, इन दोनों स्थितियों का विश्लेषण करना मददगार होगा। इसके लिए निम्न सहायता दी गई है।

'अभिशासन' का अर्थ—

(क) सत्ता का शक्ति प्रयोग— राजनैतिक, आर्थिक, न्यायिक और प्रशासनिक— देश के हर स्तर पर जनता के क्रियाकलापों का प्रबन्ध करने हेतु।

(ख) एक तटस्थ विचार, क्योंकि सरकार के सभी स्वरूपों (तानाशाही, प्रजातंत्र आदि) को शासन करना है। इसलिए एक तानाशाह भी एक अच्छा शासक हो सकता है।

(ग) सरकारी तंत्रों की पेचीदा प्रक्रिया का भी उल्लेख करना, जिनमें कि सरकार की सभी गतिविधियाँ शामिल हैं।

उत्तम अभिशासन का अर्थ—

जो लोग विकास की अधिकार-आधारित शैली को स्वीकारते हैं, उनके लिए उत्तम अभिशासन सार्वजनिक क्रियाकलापों और साधनों को समस्त जनता के हितार्थ प्रबन्धन का एक जन-केन्द्रित तरीका है, जिससे कि उपेक्षित वर्गों के अधिकार इन सभी प्रयासों के केन्द्र में रहे। उनके लिए, जो विकास की आवश्यकता-आधारित शैली के अनुरूप (कार्य कर रहे हैं), यह जन-संसाधनों के प्रबन्धन का एक तरीका है जिससे कि जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। जो लोग समाज में पहले से ही शक्तिशाली हैं, उनके लिए देश के प्रबन्धन का सक्षम तरीका है, जिससे कि कोई हलचल न हो, गरीबों का प्रबन्ध हो सके और शक्तिशाली लोगों के अधिकारों को कोई चुनौती न दे सके।

उत्तम अभिशासन के मापदण्ड

उत्तम अभिशासन की विचारधारा में निम्न मापदण्ड सम्मिलित हैं—

<p>आधारभूत मापदण्ड</p> <ul style="list-style-type: none"> • परिकल्पना / मिशन • सहभागिता • पारदर्शिता • जवाबदेही 		<p>सहायक मापदण्ड</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रभावीपन • वचनबद्धता • सक्षमता • समान / समानता • उत्तदायित्वपन
--	--	---

परिकल्पना/मिशन

अर्थ : दीर्घकालिक नियोजन, जो कि, पूर्व की सोच, योजना, समझ और कार्यक्रमों का ध्यान रखता है (उनका जारी रखना या सुधारना)।

परिकल्पना का स्वरूप : इस परिकल्पना/मिशन में निम्न बिन्दु शामिल हैं-

- पिछले समूह, व्यक्ति या नेतृत्व द्वारा प्रदर्शित प्राथमिकताओं की पहचान
- वर्तमान प्राथमिकताओं का आकलन
- बीती हुई और वर्तमान प्राथमिकताओं की समीक्षा
- आवश्यक बदलावों में निरन्तरता बनाये रखना— जैसे कि पूर्व के अनुभवों से सीखना व उसके आधार पर आगे बढ़ना, न कि पुनः शून्य से शुरु करना।

सहभागिता

अर्थ : 'जनता के क्रियाकलापों में भागीदारी'

निम्न प्रश्न सहभागिता का स्तर तय करते हैं।

- भागीदारी कौन कर रहा है? — आदमी, औरत, दलित, गरीब, भूमिहीन, आदिवासी समूह आदि या केवल वही लोग जिनके पास पहले से ही शक्ति है?
- सहभागिता का क्या स्तर है? — क्या यह वास्तव में है या दिखावटी क्या है? सहभागिता कागजों में ही है और वास्तव में नहीं है? शासन की प्रक्रिया में किसकी सुनी जाती है? उदाहरण के लिए, कुछ देशों में महिलाओं को अधिकारिक ढाँचों में अपने आप शामिल कर लिया जाता है। परन्तु वास्तव में उनकी बात सुनी नहीं जाती।
- सहभागिता का उद्देश्य क्या है?— एक संख्याओं की गणना का आभास? एक केवल सुनने में सहभागिता? एक केवल बोलने की भागीदारी? एक वास्तव में निर्णय प्रक्रिया में शामिल होने की सहभागिता? लिए गये निर्णयों का मूल्यांकन और रोक लगाने की सहभागिता? और इसी प्रकार अन्य।
- हम सहभागिता कहाँ चाहते हैं?— केवल राज्य के विभिन्न हिस्सों में या अपने संस्थानों में भी? हमारे साथ कार्य कर रहे अन्य संस्थानों में या केवल सिद्धान्तों या साहित्यों में?


सहभागिता के वर्तमान स्तर की समीक्षा: सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए, इस दिशा की ओर वर्तमान स्थिति की समीक्षा प्रथम कार्य है। उपर्युक्त बिन्दुओं के साथ ही, निम्न प्रश्नों को भी मस्तिष्क में रखा जा सकता है—

- सहभागिता की वर्तमान में क्या स्थिति है ?
- क्या वहाँ पर्याप्त महिलायें हैं ?
- क्या वहाँ दलित और अन्य उपेक्षित समूहों के कर्मचारी हैं?
- क्या हम नये सदस्यों को भर्ती करने के लिए अधिकृत हैं?
- यदि नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं?
- क्या हम इस मुद्दे को विनम्रता से उच्च स्तर पर उठा सकते हैं, गोष्ठियों, लेखों, रिपोर्टों आदि के द्वारा?
- क्या हम कम से कम वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर नतीजों को प्रचारित कर सकते हैं?

जवाबदेही

अर्थ : क्या अभी तक किया गया और क्या अभी और करना है इसके बीच के अन्तर को जवाबदेही कहते हैं।

निम्न लेखाचित्र इसको दर्शाता है—



स्वरूप: यह (पहचान करना) बहुत कठिन है कि जवाबदेही का वास्तविक स्वरूप क्या है। हालांकि, उनकी पहचान के लिए निम्न प्रश्न सहायक हो सकते हैं।

- लोगों की इस विषय में क्या टिप्पणियाँ हैं? आत्म-केन्द्रित, वरिष्ठ-केन्द्रित राष्ट्र-केन्द्रित या जन-केन्द्रित निष्ठा।
- किसी के चले जाने के बाद लोगों की क्या टिप्पणियाँ होती हैं? बहुत ज्यादा नकरात्मक/नकरात्मक/सकरात्मक/बहुत ज्यादा सकरात्मक।
- किसी संस्थान से अपनी विदाई के बाद हम क्या आशा करते हैं।

यह पहले ही उल्लेखित किया जा चुका है कि कई ऐसे उप-मापदण्ड हैं जिनके आधार पर उत्तम अभिशासन का आंकलन किया जा सकता है। स्थानीय पैमाने के आधार पर कई मापदण्डों की पहचान की जा सकती है। ऐसे कुछ मापदण्ड व उनका स्वरूप नीचे दिया गया है।

उत्तदायित्वपन:—ये उप-मापदण्ड व्यक्ति विशेष की जनता के कार्यों के प्रति जिम्मेदारी की भावना से सीधा सम्बन्ध रखता है। यह जवाबदेही के साथ जुड़ा हुआ है। उत्तदायित्वपन के कुछ स्वरूप निम्न प्रकार हैं।

- समय की पाबंदी का स्तर— दफ्तर में, मीटिंग में, कार्यशाला आदि में
- लिखित प्रतिक्रिया का स्तर— चिट्ठी, आवेदन और पुर्नभरण आदि
- टेलीफोन द्वारा प्रतिक्रिया का स्तर— बातचीत की तत्परता, काल बैंक, शिष्टाचार के लिए फोन करना, आदि
- ई-मेल द्वारा प्रतिक्रिया का स्तर— प्राप्तियां, मेल प्राप्त होने पुष्टि, प्रतिक्रिया
- सुनने का स्तर— निपुणता, तत्परता, लोगों को महत्व देना आदि
- स्वीकार्यता का स्तर— तर्क, असहमति, शिकायतें आदि
- कहे गये पर अमल करना— स्पष्टीकरण करना
- व्यक्तिगत नीति का स्तर— खुला रूप या बन्द रूप?

प्रभावीपन : यह एक तुलनात्मक शब्द है। यदि कोई तुलना करने योग्य नहीं है तो कार्य की कोई भी शैली उचित है। लेकिन आज का समाज बहुत प्रतियोगी है। तुलना के लिए कई प्रकार की कार्यशैली व ढंग हैं। किसी भी स्तर पर लोग तुलना करने के लिए तत्पर रहते हैं और अपने दिमाग को उसी प्रकार तैयार कर लेते हैं। प्रभावीपन यह तय करता है कि हम अपने लक्ष्य के कितने समीप हैं— विभिन्न परिवर्तनीय तत्वों को मस्तिष्क में रखते हुए जैसे समय, मूल्य, गुण, दोस्ताना वातावरण और आरामदायक सम्बन्ध। निम्नलिखित प्रश्न कुछ स्पष्टीकरण देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई संगठन इन प्रश्नों पर अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, तो यह गम्भीर समस्या में है।

- क्या हम लोगों की सेवा करने में सबसे तत्पर हैं?
- क्या हम अपनी सेवाएँ सबसे सस्ते मूल्य पर दे सकते हैं?
- क्या हमारे उत्पाद अच्छे गुणों से मुक्त हैं?
- क्या हम उन लोगों को दोस्ताना वातावरण दे पाते हैं जो हमारे पास आते हैं?
- क्या लोग हमारे साथ सम्बन्ध बनाने/रखने में (खुश हैं)

वचनबद्धता: वचनबद्धता और प्रभावीपन एक दूसरे से जुड़े हुए मापदण्ड हैं। वचनबद्धता का वर्गीकरण संस्थागत एवं व्यक्तिगत स्तरों पर किया जा सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति ही संस्थान का संचालन करता है, इसलिए व्यक्तिगत वचनबद्धता का स्वरूप ही संस्थागत वचनबद्धता बन जाता है। वचनबद्धता को मापने में निम्न संकेत हमारी मदद कर सकते हैं।

- पूर्व के निर्णयों, परिकल्पनाओं, रणनीतियों और गतिविधियों की निरन्तरता की स्थिति

- ईमानदारी का स्तर— कथनी और करनी के सम्बन्ध में
- विभिन्न मुद्दों पर गम्भीरता— गरीबी स्वास्थ्य, आदि।
- समझौते का तर्क— लोकतंत्र, मानव अधिकार आदि पर वचनबद्धता।
- सेवा प्रदान करने का स्तर— हम व्यक्तिगत स्तर पर लोगों के कल्याण हेतु क्या दे सकते हैं?
- व्यक्तिगत त्याग— क्या हम अपने कुछ लाभ या सुविधाओं को अन्य लोगों के कल्याण के लिए दे सकते हैं?
- समझौते का स्तर— क्या हम साधारण, मेहनती ओर गरीबों के प्रति उदार बने रहने के लिए अपने परिवार के साथ समझौता कर सकते हैं?
- अन्य आदतों में शामिल होने का स्तर— क्या हम सामाजिक, धार्मिक और अन्य कुरीतियों से दूर रह सकते हैं जिससे कि लोग हमें एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में जानें।

कार्यकुशलता: यह व्यक्तिगत ज्ञान और कुशलता से सम्बन्धित मापदण्ड हैं जो यह आंकलन करता है कि हम कितने कार्यकुशल हैं। दुनिया बदल रही है। हमें तेज और आश्चर्यजनक तकनीकों मिल रही हैं। क्या हम इन सभी बदलावों से परिचित हैं? नयी पीढ़ी तो इन नवीन तकनीकों से भली-भांति परिचित है क्या हमारी मनोवृत्ति इस प्रकार है कि हम किसी से सीख सकें? हम कितने नौकरशाह हैं? हमारे अन्दर कितनी पारंपरिक नौकरशाही है? इस बारे में लोगों का हमारे प्रति क्या कहना है? यह कुछ प्रश्न हैं जो हमारी कार्यकुशलता पर दृष्टि डालते हैं।


क्या हमें यह पता है कि हमें क्या करना है?

क्या हमें यह पता है कि हमें क्या करना है?

6.2 लिंकेज फ्रेमवर्कस

लिंकेज फ्रेमवर्क 1

स्थानीय स्तर पर उत्तम अभिशासन की प्राप्ति जनवकालत के प्रयासों का अन्तिम लक्ष्य है। हालांकि, अभिशासन के स्तर को सुधारना और उसको 'उत्तम' बनाना एक दीर्घकालिक परिकल्पना है। एक संगठन चाहे वह कितना भी समर्पित हो, कभी भी वृहद स्तर पर इस सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। समाज में कई और भी कलाकार हैं जो उत्तम अभिशासन को बढ़ावा देने में मददगार हैं। यह रूपरेखा आपको इस वास्तविकता से अवगत कराने के लिए है।




लिंकेज फ्रेमवर्क 2

यहां पर दर्शाये गये सभी आवश्यक तत्वों के मध्य में कानूनी नियम हैं। जन-अधिकारों को स्थायी और स्थिर कानूनी नियमों के बिना, सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। यह धारणा निम्न रूपरेखा के माध्यम से दर्शाया गया है।



लिंगेज फेमवर्क 3

सामुदायिक स्तर पर उत्तम अभिशासन को प्राप्त करने के मार्ग के विभिन्न पड़ावों पर, रणनीतियों और कलाकारों को यह रूपरेखा एक साथ जोड़ती है।



इसलिए, उत्तम अभिशासन की परिकल्पना आवश्यक तो है, परन्तु इसको पाने का मार्ग सरल नहीं है। उत्तम अभिशासन के मार्ग में विभिन्न पड़ाव हैं और इनके लिए विभिन्न रणनीतियों की आवश्यकता है। उपर्युक्त प्रदर्शित रूपरेखा में दर्शायी गयी रणनीतियाँ उच्च स्तर के लिए चुनौतिपूर्ण हैं।

समय : 2 घंटे

सत्र का सम्पूर्ण उद्देश्य

जनवकालत के वैचारिक एवं व्यावहारिक चरणों से परिचित करना

सत्र के विशेष उद्देश्य

- जनवकालत के प्रयासों की आधारशिला को दोहराना
- मुद्दों की पहचान के तरीकों का वर्णन
- योजना के संदर्भ में प्रत्येक क्षेत्र से कम से कम एक मुद्दे को पहचानें

गतिविधियाँ	समय (मिनट)	
गतिविधि 7.1 जनवकालत के तर्कपूर्ण चरण	15	(15)
गतिविधि 7.2 जनवकालत के मुद्दे की पहचान व विश्लेषण	75	(90)
गतिविधि 7.2 मुद्दों की पहचान एवं विश्लेषण से सम्बन्धित युक्तियों का प्रस्तुतिकरण	30	(120)

अग्रिम तैयारी

- इस प्रस्तुतिकरण को जीवंत बनाने के लिए, सुगमकर्ता को विभिन्न विचार बिन्दुओं को दर्शाने के लिए वास्तविक जीवन के उदाहरण तैयार करने चाहिए। जो उदाहरण आप बतायेंगे वे व्यवहारिक हों और उस क्षेत्र के हों जहाँ से सहभागी आये हुए हैं।
- इस *मैनुअल* में शामिल बुलेट बिन्दु प्रस्तुतिकरण के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि, ये सुगमकर्ता के रूप में आपके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इसलिए इस विषय पर अपना कुछ साहित्य पढ़ना चाहिए। यदि आपके पास अन्य साहित्य नहीं है तो इस प्रशिक्षण कार्यशाला के लिए बनायी गयी *रिसोर्स मैनुअल* आपकी सहायता करेंगी।
- इस प्रस्तुतिकरण के दौरान अपने विचार सहभागियों पर न थोपें। प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त बुलेट बिन्दुओं से कुछ सहभागी सहमत नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में केवल अपने विचारों का आदान-प्रदान करें, किन्तु अपने विचारों को स्वीकारने के लिए उनपर दबाव न दें।

सत्र के लिए आवश्यक सामग्री

- संसाधन सामग्री 7.1 जनवकालत के प्रयासों के नियोजन की रूपरेखा
 संसाधन सामग्री 7.2 नीतिगत विश्लेषण का सामान्य विवरण
 संसाधन सामग्री 7.3 नीतिगत मुद्दों की पहचान के उदाहरण
 संसाधन सामग्री 7.4 मुख्य कलाकारों व नीतिगत वातावरण की पहचान
 संसाधन सामग्री 7.5 नेपाल की चुरिया पहाड़ियों में आजीविका- केस स्टडी
 संसाधन सामग्री 7.6 सी.एच.टी. में वन और भूमि पर अधिकार- केस स्टडी

अन्य सामग्री

गतिविधि 7.1 जनवकालत तर्कपूर्ण चरण

समय : 15 मिनट

इस सत्र के प्रारम्भ में, सुगमकर्ता यह बता सकता है कि, इस बिन्दु तक की गई चर्चा केवल जनवकालत की पृष्ठभूमि की समझ बनाने के लिए है। इस सत्र से, कार्यशाला जनवकालत की वास्तविक प्रक्रिया पर केन्द्रित रहेगी।

- जनवकालत की रूपरेखा के तर्कपूर्ण चरणों को प्रस्तुत करें (सं.सा. 7.1)
- सामान्य प्रश्नों के लिए ही समय दें, यह बतायें कि विस्तृत चर्चा इसके बाद या अन्य सत्रों में की जायेगी।

गतिविधि 7.2 जनवकालत के लिए मुद्दे की पहचान (समूह कार्य)

समय : 1 घंटा 15 मिनट

इस प्रस्तुतिकरण की समाप्ति के तुरन्त बाद, सहभागियों को चार समूहों में बांट दें। दो केस स्टडी को बाँट दें (सं. सा. 7.5 और 7.6), यह निश्चित करते हुए कि दो समूह एक स्टडी पर कार्य करें और अन्य दो दूसरी केस स्टडी पर।

- उनसे केस स्टडी के अन्त में लिखे प्रश्नों का उत्तर देने को कहें। छोटी समूह चर्चा और उसके आधार पर प्रस्तुति बनाने के लिए 1 घंटे का समय दें। उनको याद दिलायें कि उनको एक प्रस्तुतकर्ता का चयन करना है और प्रस्तुतिकरण 'समस्या वृक्ष' के स्वरूप में होना चाहिए। उन्हें उत्साहित करें कि प्रदर्शन शीटों और मेटा कार्ड का प्रयोग 'समस्या वृक्ष' बनाने के लिए करें।
- समूहकार्य, के बाद सभी समूहों से एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण करने को कहें। केवल स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न करने की इजाजत दें।

गतिविधि 7.3 युक्तियों का प्रस्तुतिकरण

समय : 30 मिनट

- नीतिगत विश्लेषण के अन्य उप-चरणों को संक्षिप्त में प्रस्तुत करें (सं. सा. 7.2, 7.3 और 7.4)। आप इस सत्र का समापन (सं. सा. 7.3 और 7.4) में दिए गए प्रस्तुतिकरण से कर सकते हैं, जिनमें समापन टिप्पणियाँ दी गयी हैं।
- अब मंच को प्रश्नों और चर्चाओं के लिए खोल दें। समग्र चर्चा के दौरान आप निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाल सकते हैं।
 - यह सीखने का सत्र है। इसलिए सुझाये गए सभी केस सीखने के तरीकों के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। हालांकि, अपने कार्यक्षेत्र की वास्तविक स्थिति में, जनवकालत के वास्तविक मुद्दे की पहचान और विश्लेषण में हमारा काफी समय व्यतीत होता है। यह प्रक्रिया बड़ी मात्रा में उर्जा और संसाधनों की माँग करती है। इस संदर्भ में कई चर्चाओं की आवश्यकता हो सकती है।
 - जब हम मुद्दों का विश्लेषण करते हैं तब तथ्यों, आँकड़ों, चलन और राय की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह एक प्रकार का शोध कार्य है। हम जिस मानसिक शोध

या पूर्वानुमान के साथ कार्य शुरू करते हैं उसमें बदलाव के लिए तैयार रहें, क्योंकि जब हम मुद्दे की जमीनी हकीकत को जान लेते हैं तब उस विषय में हमारा दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि जनकालत का प्राथमिक लक्ष्य लोगों का सशक्तिकरण है— विशेषकर उन व्यक्तियों के संदर्भ में जो मुद्दे से प्रभावित होते हैं। इसलिए, इन चरणों का अनुसरण करते समय, सहभागितापूर्ण प्रक्रियाओं का अनुसरण करें— क्योंकि इसके बिना यह 'जनता के लिए' की गई जनकालत तो होगी किंतु "जनता के द्वारा" की गयी नहीं होगी। नियोजन की गैर-सहभागी कार्यशैली जनकालत के सशक्तिकरण सम्बन्धित संदर्भों को अनदेखा करती है और परिवर्तन का अंतिम लक्ष्य तब तक संभव नहीं है कि प्रभावित लोग स्वयं प्रक्रिया के दौरान क्रियाशील नहीं होते।

के लिए निर्धारित है। यह प्रक्रिया शुरू करने से पहले नीतिगत विश्लेषण के लिए निर्धारित है।

- यह ध्यान लेना कि नीति निर्माताओं और क्रियापिठ करने वालों की क्रियाएं लोगों के कल्याण को प्रभावित करती हैं। उन्हें अपनी प्रतिक्रिया से नीतिगत कार्यों का विश्लेषण करने की जरूरत है।



7.3 नीतिगत चुनौतियों की पहचान करना

- नीति निर्माण के लिए निर्धारित है।
- नीति निर्माण के लिए निर्धारित है।



नीति निर्माण के लिए निर्धारित है।


- नीति निर्माण के लिए निर्धारित है।
- नीति निर्माण के लिए निर्धारित है।



क्र.सं.	वर्णन	निष्कर्ष	कार्यवाही
2.1	नीति निर्माण के लिए निर्धारित है।	नीति निर्माण के लिए निर्धारित है।	नीति निर्माण के लिए निर्धारित है।
2.2	नीति निर्माण के लिए निर्धारित है।	नीति निर्माण के लिए निर्धारित है।	नीति निर्माण के लिए निर्धारित है।

7.1 जनवकालत के प्रयासों के नियोजन की रूपरेखा

कई रूपों में, जनवकालत का रणनीतिक नियोजन सामान्य परियोजनाओं नियोजन से ज्यादा भिन्न नहीं है। हालांकि, जनवकालत के नियोजन का प्रारम्भ मुद्दे की पहचान से होता है, फिर वांछित नीति परिवर्तन को दर्शाया जाता है और प्रयोग किये जाने वाले तरीकों के संदर्भ में रणनीति बनायी जाती है। नियोजन चरण के दौरान, सामान्य कार्ययोजना नीतिगत मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जनवकालत के नियोजन की रूपरेखा के संदर्भ में जो तर्कपूर्ण चरण आवश्यक और सहायक है उनका सारांश निम्न लेखाचित्र में दिया गया है।



उपरोक्त चरण काफी विस्तृत दिखाई पड़ते हैं। यदि जनवकालतकर्ता जनवकालत के नियोजन के लिए आवश्यक चरणों से 'घबरा' जायेंगे तो वे वकालत शुरू नहीं कर पायेंगे। हालांकि, इनमें से कई बिन्दु पहले से ही पूर्ण किये जा चुके होंगे (जानते हुए या अनजाने में) उस संगठन में, जिसने कि मुद्दे पर आधारित जनवकालत करने में रुचि दर्शायी है। यह भी आवश्यक नहीं है कि इन सभी उप-चरणों का एक के बाद एक अनुसरण किया जाए, क्योंकि कई बार विभिन्न व्यक्तियों द्वारा वह साथ-साथ किये जा सकते हैं।

7.2 नीति विश्लेषण की आम समझ

नीति का अर्थ : नीति एक क्रमबद्ध योजना, कार्य की दिशा या सरकार, व्यवसायों या अन्य संस्थाओं, (जिनको निर्णयों या तरीकों को प्रभावित करने के लिए बनाया गया है) द्वारा अपनाये गये नियमों का समूह है।

नीति विश्लेषण का अर्थ: नीति विश्लेषण एक तरीका है (क) गरीबी और भेदभाव के नीतिगत कारणों की पहचान करने का, (ख) मुख्य कलाकारों या संस्थानों की पहचान करना जो चुनी गयी/पहचानी गयी नीतियों के विषय में निर्णय करते हैं और (ग) नीतिगत वातावरण का विश्लेषण, यह जानने के लिए कि हम कहाँ पर प्रभाव डालने की शुरुआत करें और कहाँ से हमें सफलता की आशा करनी है, इत्यादि।

नीति विश्लेषण की आवश्यकता : जनवकालत का प्रयास शुरू करने से पहले नीतिगत विश्लेषण के निम्न मूल कारण हैं :

- समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके मूल कारणों की गहन समझ होनी चाहिए, क्योंकि समाधान तभी प्राप्त किया जा सकता है यदि समस्याओं की अच्छी समझ हो।
- इस गहन विश्लेषण को करने के लिए गरीबी के नीतिगत कारणों को नहीं भूलना चाहिए।
- यह जान लेना कि नीति निर्माताओं और क्रियान्वित करने वालों की क्रियाएं लोगों के कल्याण को प्रभावित करती हैं, हमें गरीबी व भेदभाव के नीतिगत कारणों का विश्लेषण करने को कहता है।

7.3 नीतिगत मुद्दों की पहचान

समान्यतः तीन प्रकार के नीतिगत मुद्दों को देखने की आवश्यकता है : (क) नीति का आभाव (ख) अपर्याप्त नीति और (ग) नीति को अनियमित ढंग से लागू करना। निम्न उदाहरण इस विषय में स्पष्टता लाएगा :

उदाहरणतः : हमें नेपाल में लड़कियों की शिक्षा की समस्याएँ लेते हैं। निम्न सारणी में यह उदाहरण देखा जा सकता है:

समस्या : नेपाल में बालिकाओं को शिक्षा में समान अवसर नहीं प्राप्त हो रहे हैं।			
मूल प्रश्न	वर्तमान स्थिति	नीतिगत मुद्दे	जनवकालत की रणनीतियों पर ध्यानाकर्षण
क्या वर्तमान नीति बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा दे रही है?	नहीं	शिक्षा में समान अवसरों के लिए शिक्षा नीति का आभाव	लड़कियों की शिक्षा के लिए नई नीति का निर्माण
क्या वर्तमान नीतियाँ लड़कियों की शिक्षा में अवरोध उत्पन्न करती हैं?	हां	अन्य प्रतिकूल नीतियाँ जो बालिका शिक्षा में रुकावट पैदा करती हैं	उन शिक्षा नीतियों में बदलाव जो बालकों और बालिकाओं, दोनों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने में रुकावट पैदा करती हैं
जो नीतियाँ बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देती हैं, क्या वह ठीक ढंग से क्रियान्वित हो रही हैं?	नहीं	कमजोर संस्थागत ढांचा और नीतियों को लागू करने में वचनबद्धता की कमी	उन शिक्षा नीतियों को लागू करवाना जो समान शिक्षा के अवसरों को बल देती हैं

7.4 मुख्य कलाकारों एवं नीतिगत वातावरण की पहचान

मुख्य कलाकारों की पहचान

नीति निर्माताओं की पहचान और उनकी रुचियों का विश्लेषण जनवकालत की रणनीति बनाने के लिए आवश्यक है। उनको ठीक से पहचानने के लिए निम्न प्रश्न मददगार हो सकते हैं :

- जिन नीतिगत मुद्दों की हमने पहचान की है उनके बारे में निर्णय कौन लेता है?
- इन नीति निर्माताओं के निर्णयों को कौन प्रभावित कर सकता है?
- क्या नीति निर्माता व प्रभावशाली कलाकार इन मुद्दों पर रुचि रखते हैं?
- उनके पास क्या संसाधन हैं?
- नीतिगत मुद्दे के सम्बन्ध में उनका पक्ष है क्या है?


नीतिगत वातावरण का विश्लेषण

नीतिगत मुद्दे का विश्लेषण एक पेचीदा कार्य है। जनवकालत के समूह इस योग्य होने चाहिए कि वे इस वातावरण का भी आंकलन कर सकें। इस विश्लेषण के लिए निम्न प्रश्न मददगार हो सकते हैं :

- (पहचाने गए मुद्दे के बारे में) क्या लोग भागीदारी कर सकते हैं? नीतिगत निर्णयों में उनकी भागीदारी के लिए कौन सा मार्ग है?
- मुख्य निर्णय कहाँ होते हैं? कौन इन निर्णयों को नियंत्रित करता है?
- क्या पहचाने गए नीतिगत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है? क्या यह सामान्य जनता के लिए रुचि का विषय है? क्या प्रमुख समाचार पत्र अक्सर इस मुद्दे पर प्रकाश डालते हैं?
- क्या पहचाना गया नीतिगत मुद्दा सरकार के लिए प्राथमिकता है? क्या सरकार वर्तमान नियमों में बदलाव की योजना बना रही है? पिछले कुछ वर्षों में कौन सी सम्बन्धित नीतियाँ स्वीकृत अथवा अस्वीकृत हुई हैं?
- राजनैतिक क्षेत्र में क्या बदलाव आ सकते हैं? क्या चुनाव आ रहे हैं? वह किस प्रकार पहचाने गए मुद्दों को प्रभावित कर सकते हैं?

इन सभी प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त किए जा सकते हैं एक "समस्या वृक्ष" के रूप में, कारण एवं प्रभावों को दर्शाते हुए। ऐसे सारांश द्वारा नीतिगत वातावरण के विश्लेषण के परिणामों का वर्णन देखा जा सकता है। यह विश्लेषण नीतिगत बदलाव के विकल्पो की पहचान का आधार बनता है। निम्न उदाहरणों को देखें।

नीतिगत बदलावों के विकल्पों की पहचान



ध्यान देने योग्य तत्व

अन्त में, नीतिगत विश्लेषण की समाप्ति से पहले, निम्न तत्वों पर ध्यान देना चाहिए। निम्न प्रश्नों पर पर्याप्त ध्यान दें:

- यह कौन सा नीतिगत मुद्दा है जो कि समस्या पर सबसे अधिक एवं स्थाई प्रभाव डालता है?
- क्या होगा यदि इन मुद्दों के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जाता है?
- वह कौन से नीतिगत समाधान हैं जो कि आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं और कौन से समाधान खर्चीले/समय लेने वाले हैं?
- कौन से नीतिगत समाधानों के लिए समर्थन प्राप्त किया जा सकता है और किन को विरोध का सामना करना पड़ सकता है?
- कुछ समाधान जोखिम भरे हो सकते हैं, दूसरों की अपेक्षा? क्या ये जोखिम कम किए जा सकते हैं?
- नीतिगत समाधानों को नीति निर्माताओं के ध्यान में लाने के लिए किसको पहल करनी चाहिए?
- वर्तमान में आपकी संस्था या आपके सांझीदार कौन से नीतिगत समाधानों को पाने की अच्छी स्थिति में हैं?

कुछ विचारणीय बातें

अधिकांश स्वयं सेवी संस्थाएं मध्यस्त संस्थाओं के रूप में देश-विदेश की वैधानिक रूप-रेखा के अन्तर्गत कार्य कर रही हैं, यह एक गम्भीर चिन्तन का विषय है। यदि आप एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन हैं, तो आपको किसी देश के किसी क्षेत्र या राज्य में कार्य करने के लिए उस देश की सरकार से मान्यता या सरकारी स्वीकृति चाहिए। स्वीकृति कुछ नियमों के आधार पर या आपसी समझौते अधीन (जो कि वैधानिक रूप से मान्य होता है) दी जाती है। यदि आप एक घरेलू संगठन हैं तो आपको कुछ वैधानिक नियमों एवं कानूनों का अनुसरण करना पड़ेगा। इस रूप रेखा से बाहर जाने

का अर्थ है कि आप अपनी वैधानिक स्थिति खो देंगे। साथ ही, अधिकार आधारित मुद्दों पर कार्य करने के लिए आपको पीड़ितों के साथ एक विश्वसनीय सम्बन्ध स्थापित करना होगा और यह प्रायः समुदायों को जोखिम में डाल देते हैं, (शारीरिक, आर्थिक आदि) जिनके लिए आप कार्य कर रहे हैं। यदि ऐसे समुदायों को आप एक निश्चित स्थिति तक ले जाते हैं और फिर अपने संगठनात्मक दबावों के कारण उनको अकेला छोड़ देते हैं तो वह यह सोच सकते हैं कि उनके साथ धोखा हो रहा है। यह एक गंभीर असमंजस है जिसका सामना करना होगा।

इसलिए, हम सब को, जो अधिकार आधारित जनवकालत के मुद्दों से जुड़ना चाहते हैं, इस स्थिति में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मस्तिष्क में इन बातों का ध्यान रखते हुए निम्न तथ्यों पर जनवकालत प्रारम्भ करने से पहले सावधानी पूर्वक सोचना होगा, जो यह तय करेंगे कि आप जनवकालत करेंगे या नहीं।

- क्या जनवकालत हमें, हमारे साझेदारों या समुदायों को (जिनके साथ हम काम कर रहे हैं) बड़े जोखिम में डाल सकती है (हमारे या समुदायों के साथ किसी प्रकार की हिंसा या जोखिम, समुदाय के बीच हमारी विश्वसनीयता कम होना क्योंकि हम उनके साथ खड़े नहीं रह सकते, राज्य द्वारा हमें क्षेत्र छोड़ जाने को कहा जा सकता है, आदि)। उदाहरण के लिए, एक व्यक्तिगत रूप में और एक संगठन के रूप में, यदि सरकार आपकी संस्था के करारनामे का नवीनीकरण न करने या आपकी संस्था की मान्यता समाप्त करने की धमकी देती है तो आप क्या करेंगे— एक व्यक्तिगत रूप में और एक संगठन के रूप में?
- क्या नीतिगत वाद-विवाद में पड़ने का यह ठीक समय है? क्या देश अन्य बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, जिनको आपका जनवकालत का प्रयास और भी खराब कर सकता है?
- क्या हमारा हस्तक्षेप समस्या को और खराब कर सकता है? कई ऐसी घटनायें हैं जहाँ कुछ संगठनों के जनवकालत में शामिल होने से समस्या और ज्यादा खराब हो गयी, उनके लिए, जो इससे सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं।
- क्या समस्या के अन्य समाधान हैं, जहां भिन्न रणनीति कार्यक्रमों का प्रयोग होता है जो कि कम खर्चीले या ज्यादा व्यवहारिक या रणनीतिक हैं, बजाय जनवकालत के? सब कुछ जनवकालत नहीं है और जनवकालत अकेले ही सभी समस्याओं का समाधान नहीं है।
- क्या कोई समस्या तुरन्त कार्यवाही चाहती है जिसके लिए जनवकालत की रणनीति को अधिक समय लगेगा?

विकास कार्यकर्ताओं के बीच एक बड़ा विवाद है कि क्या हमें 'पेशेवर जनवकालतकर्ता' या 'प्रतिक्रियावादी जनवकालतकर्ता' के रूप में कार्य करना चाहिए। सामान्यतः पश्चिमी देशों में पेशेवर जनवकालतकर्ताओं की यह सोच है कि जो भी उनको पैसा देगा वे उसके लिए काम करेंगे। और यद्यपि इस प्रकार के जनवकालतकर्ता व्यक्तिगत रूप से भी किसी विशेष मुद्दे से भी जुड़ सकते हैं, परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है कि वह उपेक्षित समूह के साथ 'एकजुट होकर' कार्य करें। दूसरी ओर, आर्थिक रूप से विकासशील देशों में जनवकालतकर्ता इस बात पर स्पष्ट रूप से विश्वास करते हैं कि वह जिन समूहों को सशक्त करना चाहते हैं उनके साथ सद्भावनापूर्ण रूप से मिलकर कार्य करना चाहिए। इसका यह अर्थ है कि उनकी वचनबद्धता किसी भी भुगतान पर आधारित नहीं है बल्कि उसे परे है। यह अन्तर जनवकालत के दोनों अर्थों में भी देखा जा सकता है— एक है 'दूसरे के लिए आवाज उठाना' और दूसरा है, 'आवाज को जोड़ना' या यह उन लोगों की आवाज को स्वर देना जो कि उपेक्षित हैं और जिनके अधिकारों का हनन हुआ है।

तब एक आर्थिक रूप से विकासशील देश में जनवकालत में पेशेवर रूप से कार्य करने का क्या अर्थ है? यदि शुद्ध रूप से प्रतिक्रियावादी जनवकालत की पहल कर रहे हैं, तो हमें उन सभी तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, जो पहले सूचीबद्ध किये गये हैं। हम जिन लोगों के साथ कार्य कर रहे हैं उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन, तब हमारी क्या भूमिका होगी जब हमें किसी एन.जी.ओ. या आई.एन.जी.ओ. ने नियुक्त किया है और फिर हम जनवकालत के कार्य में शामिल होते हैं? यह कुछ प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए, जिससे कि हम वह बनने का दिखावा न करें जो हम नहीं हैं, और तब जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं वे जान पायेंगे कि हम कहां खड़े हैं।

7.5 नेपाल की चुरिया पहाड़ियों में आजीविका : — एक केस स्टडी

नेपाल में चुरिया पर्वत श्रंखला उत्तरी मध्य पहाड़ियों और दक्षिणी मैदानी भागों के बीच स्थित है। यह पर्वत श्रंखला ज्यादा चौड़े क्षेत्र में फैली हुई नहीं है किंतु बहुत लम्बी है और नेपाल के पूरब से लेकर पश्चिम तक खिंचती है। सन् 1950 से पूर्व इस क्षेत्र की आबादी बहुत कम थी और इसलिए यह, जनसंख्या बाहुल्य वाली उत्तरी पहाड़ियों और दक्षिणी मैदानों के बीच, वन क्षेत्र था। इस क्षेत्र के दोनों ओर रहने वाले लोग यहां से जलाऊ लकड़ी, घास और अन्य ऊपज एकत्र करते थे। यह दोनों ओर के जानवरों के लिए एक चारागाह के रूप में था। हालांकि, सामान्यतः लोग यहाँ नहीं बसे क्योंकि यह गर्मियों में बहुत शुष्क और गर्म होता है।

हालांकि, 1960 के बाद जनसंख्या विस्फोट के कारण कई लोग, विशेषकर उत्तरी पहाड़ियों से, चुरिया पहाड़ियों में बसने शुरू हुए। प्रारम्भ में, केवल कुछ ही परिवार इन पहाड़ियों के चुनीदा और आमतौर पर उत्पादनशील क्षेत्रों में निवास करने लगे। क्योंकि, सरकार की उपस्थिति यहां नगण्य थी, इसलिए लोगों ने जंगलों को काटकर खेती करना आरम्भ कर दिया। धीरे-धीरे इस तरह के बस-बसाव में वृद्धि होने लगी। सन् 1998 तक नेपाल की लगभग 10 प्रतिशत जनता (करीब दस लाख लोग) इस पहाड़ी क्षेत्र में बस गये। परिणामतः, इस पर्वत श्रंखला के घने जंगल तेजी के साथ नष्ट हो गये। एक नाजुक पर्वत श्रंखला में इस प्रकार के जंगलों के कटान के कारण समीप के दक्षिण छोर के मैदानी इलाकों में मानसून के दौरान भारी बाढ़ आ गयी। चुरिया पहाड़ियों में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार सरकारी विभाग या तो दक्षिणी मैदानों में या मध्य पहाड़ियों में स्थित हैं, जिसके कारण यह क्षेत्र दोनों ओर से उपेक्षित रहा। हालांकि, कई अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियाँ जैसे— जी.टी.जैड, केअर नेपाल और हलवेटास ने इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जलागम, वन संरक्षण और आजीविका सुधार प्रबन्धन कार्यक्रमों को लागू करने में सरकार की सहायता की। इनमें से कुछ एजेन्सियाँ तो अभी भी सहायता कर रही हैं। सामुदायिक वनों का विचार, जो कि मध्य पहाड़ियों में बहुत सफल है, वह भी कुछ वर्ष पूर्व यहां पर लाया गया है। किंतु, वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किये जा सके।

स्थिति के विश्लेषण से पता चलता है कि, असफलता का एक कारण था कि वर्तमान निवासी जिन जमीनों पर 20 वर्षों से भी ज्यादा समय से खेती कर रहे थे उसमें से लगभग 80 प्रतिशत भूमि का उनके नाम पर निजी भूमि के रूप में पंजीकरण नहीं किया गया। वर्तमान भूमि सम्बन्धी नियमों के अनुसार, जिनके पास पंजीकृत भूमि नहीं है उनको अनाधिकृत निवासी माना जाता है। समस्त गैर पंजीकृत भूमि को वन भूमि माना जाता है जो कि वन विभाग के नियंत्रण में आती है। वर्तमान नियम वन विभाग को यह अधिकार देते हैं कि वह इन निवासियों से जमीन को खाली कराकर गैर पंजीकृत भूमि पर वृक्षारोपण कार्य करे। दूसरी ओर, वास्तव में इन लोगों को हटाया नहीं जा रहा है क्योंकि, इनके नाम वोटर लिस्ट में अंकित हैं, और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग इन समुदायों

के बीच अपना वोट बैंक बनाने में रुचि रखते हैं। इसके अतिरिक्त, विकास और सामाजिक बदलाव के नाम पर, यह लोग वह सब प्राप्त कर रहे हैं जो विभिन्न संगठन उनको दे रहे हैं।

इस सबका मतलब है कि समुदायों में सुरक्षा का भाव नहीं है और परिणामस्वरूप, वह सामाजिक परिवर्तन की ओर प्रोत्साहित नहीं हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, इस क्षेत्र के लिए 90 प्रतिशत से ज्यादा परिवार अस्थाई लकड़ी के घरों का निर्माण करते हैं जिससे कि यदि अचानक जगह को खाली कराया जाये तो वह उनको आसानी से दूसरी जगह ले जा सकें। न तो स्थानीय लोग, न सम्भवित विनियोगी और न ही सरकार इच्छुक है कि इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का निर्माण किया जाये। जैसे स्कूल, सड़क, पीने के पानी की योजनायें, भोजन और सामुदायिक भवनों का निर्माण।

समूह कार्य के लिए प्रश्न:

- इस पर्वत श्रृंखला की आम समस्याएँ क्या हैं? मूल समस्याएँ कौन सी हैं (कई समस्याओं की जड़ें)?
- कौन लोग नीतिगत बदलाव ला सकते हैं?
- क्या आपको यहां पर एक अच्छे जीवन स्तर में सहायक नीतियाँ नजर आ रही हैं?
- कहाँ पर कमियाँ हैं— नीतिगत कमियाँ, नीति क्रियान्वयन सम्बन्धी कमियाँ और अन्य कोई?

7.6 सी.एच.टी. में लोगों के जंगल व जमीन पर अधिकार : एक केस स्टडी⁴

चटगांव हिल ट्रेक्टस (सी.एच.टी.) बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है तथा इसके अन्तर्गत तीन जिले हैं खगराचारी, बानदरबन और रंगमती। अंग्रेज शासकों ने सी.एच.टी. का गठन सन् 1860 में किया था। उस समय यह एक ही जिला था जिसका नाम चटगांव था। 1980 के दशक के शुरुआती दौर में, इस क्षेत्र को तीन जिलों में विभाजित कर दिया गया : रंगमती, खगराचारी और बानदरबन। सी.एच.टी. के उत्तर और दक्षिण के तरफ जंगल और पहाड़ हैं, जबकि पश्चिम की तरफ घाटी क्षेत्र है। खगराचारी उत्तरी भाग में स्थित है और इस जिले के ज्यादातर भाग में कपटाई झील है जिसका निर्माण सन् 1960 में एक विद्युत परियोजना के लिए किया गया था।

इस क्षेत्र के मूल निवासी — चकमा, मार्मा, त्रिपुरा, खूमी, मरु, चक, तंचगया, पंखों, लुसाई, खचांग और बोम— ग्यारह आदिवासी समूह हैं। चकमा, मार्मा और त्रिपुरा के अलावा अन्य आदिवासी समूह सी.एच.टी. के सभी भागों में नहीं पाये जाते हैं। इनके अलावा अन्य संथाल, नेपाली गुरखा और अटोम (असाम से) भी सी.एच.टी. में करीब सौ वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन सरकार ने इनको कभी भी आदिवासियों के रूप में मान्यता नहीं दी। बंगाली लोग सी.एच.टी. में तकरीबन 150 वर्ष पूर्व आये थे। 1970 के दशक के मध्य तक इनकी संख्या काफी कम थी किन्तु उसके बाद बांग्लादेशी सरकार ने मैदानी क्षेत्रों में रह रहे बंगालियों को यहा स्थापित करना शुरू दिया।

सन् 1989 में, सरकार ने लोकल गर्वमेन्ट काउन्सिलों की स्थापना की जिनमें सी.एच.टी. में रहने वाले आदिवासी समुदायों का प्रतिनिधित्व था। उस समय तक इन तीनों जिलों का प्रशासन जिला

⁴ सुदन्ता विकास तंचगया, कमेटी फॉर प्रोक्टेसन ऑफ फोरेस्ट एंड लैण्ड राइट्स इन सीएचटी, जिला रंगमती बांग्लादेश फोरेस्ट एंड लैण्ड राइट्स आफ इन्डिजिनस पीपल्स इन द सीएचटी : अ केस स्टडी (रीजिनल प्लानिंग कार्यशाला चटगांव बांग्लादेश, 3 नवम्बर 2003 में प्रस्तुत)

प्रशासन के सुपुर्द था तथा डिप्टी कमिश्नर के आधीन था। स्थापना के बाद से *लोकल गवर्नमेंट काउन्सिलों* की प्रशासन में थोड़ी भूमिका है।

बांग्लादेश सरकार और जन संधति समिति के बीच एक शान्ति प्रस्ताव पारित होने के बाद एक और प्रशासनिक स्तर का निर्माण हुआ जिसको *सी.एच.टी. सीजिनल काउन्सिल* का नाम दिया गया। अंग्रेजी शासकों ने सी.एच.टी. को चकमा, बीमांग और मींग वृत्तों (प्रशासनिक क्षेत्र) में विभाजित किया था। एक चकमा नेता (जो कि स्थानीय स्तर पर 'राजा' कहलाया जाता है) पहले वृत्त का नेतृत्व करता है जबकि अन्य दो का नेतृत्व मामा नेताओं द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वृत्त की भूमि को 'मौजा' में विभाजित किया गया है— भूमि सम्बन्धी कानून एवं नियम लागू करने के लिए एक इकाई। प्रत्येक मौजा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को 'हेडमैन' के नाम से जाना जाता है। मौजा के आसपास के कुछ क्षेत्रों को 'पारा' भी कहा जाता है जिनका नेतृत्व एक 'करबारी' (यह प्रशासनिक उपाधि है, वृत्त के *झीफ* से एक दर्जा नीचे) करता है। सभी *हेडमैन* और करबारी अपने अपने वृत्त के *झीफ* को जवाबदेह होते हैं। आज भी सी.एच.टी. का यह परम्परागत तरीका चालू है।

सी.एच.टी. के जंगलों का वर्गीकरण

वन ससाधनों के नियंत्रण और उपयोग हेतु सन् 1970 में वन विभाग की स्थापना की गयी। इसको स्थापित करने वाले अंग्रेज शासकों के जाने के पश्चात यह विभाग सी.एच.टी. में तकरीबन उसी प्रकार की मनोवृत्ति एवं कार्य प्रणाली के साथ कार्य कर रहा है, जैसे कि अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान हुआ करता था। सी.एच.टी. की वन सम्पदा का तीन समूहों में वर्गीकरण किया जा सकता है : (क) संरक्षित वन जिनका प्रबन्ध एवं नियंत्रण वन विभाग के पास है (ख) सुरक्षित वन जिनका प्रबन्ध एवं नियंत्रण संयुक्त रूप से वन विभाग एवं जिला प्रशासन के पास है और (ग) बिना श्रेणी के राज्य वन जो कि जिला प्रशासन के अधिकार में है। बिना श्रेणी के वनों में जिला प्रशासन की अनुमति के बाद, लोगों ने 'झूम' खेती शुरू कर दी या वन भूमि पट्टे पर ले ली। इसके अलावा रबड़ की खेती के लिए भी यह जमीन पट्टे पर दी जाने लगी।

सी.एच.टी. में वन विभाग की वर्तमान गतिविधियाँ

वन विभाग ने 1990 के दशक की शुरुआत में नये संरक्षित वनों के गठन के प्रयास शुरू करे। सन् 1992 से 1998 के बीच विभाग ने नोटिस जारी करे और 2,18,000 एकड़ भूमि को, जो कि तीस मौजा के अन्तर्गत आती थी, संरक्षित वन बनाने की प्रक्रिया का प्रारम्भ किया। स्थानीय लोग वर्षों से अपने परम्परागत अधिकारों के अनुसार इस भूमि का प्रयोग कर रहे थे। इस भूमि पर बहुत से लोग निवास भी कर रहे थे और कपटाई झील के विस्थापितों को (जिनमें बंगाली और पहाड़ के लोग, दोनों शामिल थे) भी पुर्नवासित किया गया था।

पर्यावरण को बचाने एवं वृक्षारोपण करने के नाम पर वन विभाग आदिवासी लोगों की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। इन जमीनों को संरक्षित वनों में परिवर्तित करने के बाद स्थानीय निवासी वन सम्पदा पर अपने अधिकारों से वंचित हो जायेंगे। यह अनुमान है कि करीब 2,50,000 लोग, जिनमें कि बंगाली एवं आदिवासी समुदाय, दोनों शामिल हैं, भूमिहीन हो जायेंगे और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वंचना के एक नये अध्याय का प्रारम्भ होगा। किन्तु फिर भी, यह प्रक्रिया पूरे सी.एच.टी. क्षेत्र में तेजी से जारी है।

सेना के लिए जमीन पर कब्जा

इसके अलावा, सन् 1984-1991 के दौरान, करीब 16 गांवों से 1,450 एकड़ भूमि को सेना द्वारा प्रशिक्षण सम्बन्धी गतिविधियों के लिए कब्जा लिया गया। इसके परिणामस्वरूप करीब 4,000

आदिवासी और बंगाली निवासियों (700 परिवार) को अपने घरों और खेतों से निष्कासित कर दिया गया। उनको बहुत कम हर्जाना दिया गया। सी.एच.टी. के अन्य जिलों में भी सेना द्वारा इसी प्रकार से जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है।

इस तरह से, सी.एच.टी. में सदियों से रहने वाले आदिवासी लोगों को अभी तक जमीनों पर पर्याप्त अधिकार नहीं मिले हैं। सरकार भी लोगों को यह अधिकार दिलाने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है। सी.एच.टी. में विभिन्न प्रशासनिक स्तरों का गठन हुआ है और इनमें से कुछ स्तरों में आदिवासी नेताओं को भी शामिल किया गया है। परन्तु, इनमें से एक भी स्तर पर, आदिवासी लोगों के अधिकारों की पूर्ति हेतु, कारगर प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। सरकार हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाकर इन अधिकारों की उपेक्षा कर देती है, और परिणामस्वरूप, आदिवासियों और सरकार के बीच संघर्ष चल रहा है।

चर्चा हेतु कुछ प्रश्न:

- इस क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या हैं? मूल समस्याएं कौन सी हैं (कई समस्याओं की जड़ें)?
- कौन से लोग नीतिगत बदलाव ला सकते हैं?
- क्या आपको यहां पर एक अच्छे जीवन स्तर में सहायक नीतियाँ नजर आ रही हैं? क्या आपको ऐसी नीतियाँ नजर आ रही हैं जो लोगों के जीवन स्तर पर दुष्प्रभाव डालती हैं?
- कहां पर कमियाँ हैं— नीतिगत कमियाँ, नीति क्रियान्वयन सम्बन्धी कमियाँ और अन्य कोई?

सत्र 8 खुला सत्र

पूजागर्भदिवस

समय : 1 घंटा +

दिन के इस अन्तिम सत्र को खुला सत्र रखा गया है। इस सत्र में बाहर से आये संदर्भ व्यक्ति सहभागियों के साथ चर्चा कर सकते हैं, सहभागी आपस में चर्चा कर सकते हैं या फिर आप एक छोटी *फील्ड विजिट* का आयोजन कर सकते हैं। यह 'रिक्त स्थान' इसलिए रखा गया है कि या तो जानकारी समय के आभाव के कारण पिछले सत्रों में छूट गयी है उसको बांटा जा सके या सहभागियों को थोड़ा आराम देते हुए अन्य गतिविधियों में शामिल किया जा सके।

एक अन्तर्राष्ट्रीय समूह में इस समय का उपयोग खरीददारी, भ्रमण और/या प्रशिक्षण स्थल के नजदीक की किसी संस्था में जाने के लिए किया जा सकता है किन्तु एक स्थानीय प्रशिक्षण में कोई भी कार्यक्रम रखा जा सकता है।



इस तरह से, की एक ही में सबियों से रहने वाले अविवाही लोगों को जमी तक जमीनी पर पर्याप्त
 उपकरणों की आवश्यकता है। सरकार ने लोगों को यह अवसर विकल्प में कोई रुचि नहीं दिखा रही

